आरक्षण प्राविधान

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण को अनुमति देकर ज्यादा समावेशन का मार्ग खोल दिया है। एक उल्लेखनीय फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में उप-वर्गीकरण की अनुमति है। जस्टिस पंकज मिथल ने जोर दिया कि आरक्षणों से एक श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा का आह्वान किया कि क्या बाद की पीढ़ियां सामान्य श्रेणी के बराबर पहुंच गई हैं। इस फैसले से ईवी चिन्नैया मामले में निर्णय उलट गया है जिसमें कहा गया था कि एक समूह में सभी जातियां समान हैं, इसलिए उनका उप-विभाजन नहीं हो सकता है। इस निर्णय का ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान व राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले में एक जाति के भीतर 'क्रीमी लेयर' के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है। तर्क दिया गया है कि जातीय आरक्षण पर अक्सर एक जाति के भीतर क्रीमी लेयर द्वारा कब्जा कर लिया जाता है क्योंकि एक जाति के भीतर कुछ लोगों का उत्थान होने के साथ वे शिक्षित होते हैं तथा बाकी लोगों की तुलना में उनके पास बेहतर साधन और संपर्क होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 कुछ समुदायों को हाशियाकृत मानते हैं। सरकार को ऐतिहासिक रूप से वंचित इन समुदायों के उत्थान के लिए विशेष प्राविधान करने की अनुमति है। इन उपायों में शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों व विधायी संस्थाओं में आरक्षण भी शामिल है। पिछले वर्षों में इन लाभों के असमान वितरण

पर चिन्ता प्रकट की जाती रही है। व्यापक एससी-एसटी समुदायों के भीतर कुछ उप-जातियों या उप-समूहों ने अधिकांश लाभों पर कब्जा कर लिया है, जबकि बाकी पीछे छूट गए हैं। इस स्थिति के कारण उप-वर्गीकरण की मांग होती रही है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ऐसे उप-वर्गीकरण से इन समुदायों की एकता को नुकसान पहुंचेगा तथा यह समानता व गैर-भेदभाव के संविधान में वर्णित सिद्धान्तों के विपरीत होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जोर दिया कि आरक्षण नीतियों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय है। एक जाति में उप-वर्गीकरण कर सरकार ज्यादा बेहतर नीतियां बना कर एससी-एसटी श्रेणियों के सभी उप-समूहों तक समान रूप से लाभों का वितरण सुनिश्चित कर सकती है। इस निर्णय से एससी-एसटी में उप-समूहों का बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। इससे ज्यादा समावेशी नीतियों का मार्ग खुल सकता है जो इन समुदायों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन कुछ कमियां दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कुछ अतिरिक्त प्राविधान होने चाहिए। 'क्रीमी लेयर' या विशिष्ट समूह की अवधारणा का संबंध खासकर दूसरी पीढ़ी के लिए होता है, पर स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के कारण इसकी अनेक व्याख्यायें हो सकती हैं। 'क्रीमी लेयर' की स्पष्ट परिभाषा न होने से समस्या पैदा होती है जिसकी विविधतापूर्ण व्याख्याओं को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'क्रीमी लेयर' परिभाषित करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया है। देखना होगा कि विभिन्न सरकारें इस निर्णय की व्याख्या और क्रियान्वयन कैसे करती हैं। हालांकि, अदालत ने एससी-एसटी के लाभ हेतु 'सकारात्मक कार्रवाई' को ज्यादा समावेशी व समतापूर्ण बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, पर इसके समुचित क्रियान्वयन के चरण तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा।

कमला हैरिस की स्थिति मजबूत

पहली महिला उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस अब एक नई सीमा तोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। देश की पहली महिला उप-राष्ट्रपति बनी कमला हैरिस अब एक नई सीमा तोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे आशा और उत्साह से भरी हैं। अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस सप्ताह घोषणा कर दी, 'मैं कमला हैरिस हूं और मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हूं।' अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यह ऐतिहासिक क्षण वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से अलग रहने की घोषणा के बाद आया। उन्होंने कमला हैरिस की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का समर्थन भी किया। यह अमेरिकी राजनीति में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। इस प्रकार आधिकारिक घोषणा के बाद अब वर्तमान उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। अनेक प्रभावशाली डेमोक्रेटों ने भी कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, स्पीकर नैंसी पैलोसी, दानदाता जार्ज क्लूनी, आदि शामिल हैं। कमला हैरिस के पीछे अब पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूती से खड़ी है इससे हैरिस में अपने नेतृत्व के प्रति आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 248 साल के इतिहास में इसके पहले कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। यहां तक कि 2008 और 2016 में राष्ट्रपति की उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन को भी सफलता नहीं मिली थी। चार साल पहले कमला हैरिस ने उस समय भी इतिहास रचा था जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उप-राष्ट्रपति बनी थीं।

ऐसे समय यह सवाल उठता है कि क्या वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इतिहास बनाएंगी? क्या वे यह चुनाव जीत सकती हैं? हालांकि, उनकी स्थिति अच्छी मानी जा रही है, पर उनको दो महत्वपूर्ण काम करने होंगे। पहला, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन प्राप्त करना है और इसके बाद उनको चुनाव में विजय प्राप्त करनी है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव के लिए समय बहुत कम है। कमला हैरिस के पास केवल चार महीने का समय है क्योंकि 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा। भारतीय मूल की सुश्री हैरिस के पास अनेक सकारात्मक उपलब्धियां हैं, पर उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। वर्तमान समय में वे देश की उप-राष्ट्रपति हैं और आपातकाल में राष्ट्रपति के रूप में काम करने की उनकी क्षमता असंदिग्ध तथा उनके लिए लाभदायक है। चार साल पहले उप-राष्ट्रपति सुश्री कमला हैरिस को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में नहीं उतरेंगे और व्हाइट हाउस को अलविदा कह देंगे। लेकिन जो बाइडेन अपनी जिद पर अड़ गए कि वे दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनेंगे।

हालांकि, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर लगातार सवाल उठ रहे थे तथा अनेक डेमोक्रेटिक नेताओं का दबाव था कि वे चुनाव मैदान से हट जाएं। आखिरकार बाइडेन ने कुछ समय पहले अपनी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कमला हैरिस के साथ एक महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति इस कारण है कि वे महिलाओं के लिए निर्धारित परंपरागत सीमायें तोड़ कर इस बार पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। अब कमला हैरिस को अश्वेत, एशियाई और महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर उनका तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन प्राप्त करना होगा। उनको अब तक किसी पार्टी से मजबूती से नहीं जुड़े, यानी अनिर्णीत व युवा मतदाताओं का समर्थन भी प्राप्त करना होगा। इससे 'स्विंग स्टेट्स' में रिपब्लिकन उम्मीदवार व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत हो सकती है।

यह तथ्य निश्चित रूप से कमला हैरिस के पक्ष में है कि उनको वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजबूत वारिस माना जाता है। हालांकि, इस स्थिति के कुछ नकारात्मक तत्व हैं, पर यह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। बाइडेन से उनके जुड़ाव ने अंततः कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कमला हैरिस अपने व्यक्तित्व के चलते अपनी पार्टी के मध्यमार्गी और कट्टरपंथी सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर उनको एकजुट कर सकती हैं। इस प्रकार वे एकीकरण करने वाली शक्ति का काम कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट हो कर कमला हैरिस का समर्थन करना होगा। अमेरिका के इतिहास पर गौर करे तो स्पष्ट होगा कि जहां ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति तथा जान एफ. कैनेडी पहले कैथोलिक राष्ट्रपति थे। ये दोनों पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए 'रोल माडल' का काम कर सकते हैं और इस प्रकार वे अनेक लोगों के दिल में उम्मीद जगा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनका न केवल पुरजोर समर्थन किया है, बल्कि उनके लिए चुनाव प्रचार का वादा भी किया है। महत्वपूर्ण रूप से कमला हैरिस केवल 59 वर्ष की हैं और आयु का यह अंतर 78 वर्षीय ट्रंप की तुलना में उनके लिए लाभदायक है। इस प्रकार उनकी आयु किसी प्रकार बाधक नहीं है और इससे युवा मतदाताओं में उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। कमला हैरिस अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर अनिर्णीत मतदाताओं को अपने पक्ष में ला कर उनका समर्थन प्राप्त कर सकती हैं। उनको बाइडेन का 100 मिलियन डालर का 'वार चेस्ट' मिल सकता है। कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी के पहले सप्ताह में 200 मिलियन डालर एकत्र किए हैं और 1700 स्वयंसेवक तैयार किए हैं। इसके बावजूद उनको चुनाव में होने वाले भारी खर्च के लिए अन्य दानदाताओं में विश्वास पैदा करना होगा। हालांकि, यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से ही कमला हैरिस के 'सिलिकान वैली' से मजबूत संबंध हैं और वे इसका प्रयोग फंड एकत्र करने में कर सकती हैं।

हालांकि, कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संघर्ष में अच्छा समर्थन मिल रहा है, पर उनको अभी बहुत कुछ करना है। सबसे पहले उनको अपने उप-राष्ट्रपति के लिए उचित उम्मीदवार चुनना होगा। सही जोड़ी से उनको ट्रंप-वांस टीम पर विजय की संभावना और मजबूत होगी। कमला हैरिस ने वादा किया है कि 'मैं डेमोक्रेटिक पार्टी और देश को एकजुट करने के लिए तथा डोनाल्ड ट्रंप व उनके अतिवादी 2025 एजेंडे को पराजित करने के लिए यथासंभव सारे कदम उठाऊंगी।' कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनने और इसके लिए संघर्ष करने का मिशन तात्कालिक और महत्वपूर्ण है। उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना होगा जिन्होंने अभी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन उम्मीदवार के पक्ष में अपना मन नहीं बनाया है। अनिर्णीत मतदाताओं पर विजय प्राप्त करना हैरिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 'वाल स्ट्रीट जर्नल' द्वारा कराए हालिया जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद के वर्तमान मुकाबले में फिलहाल 'कांटे की टक्कर' जैसी स्थिति बनी हुई है। यह टक्कर महत्वपूर्ण है। जनमत सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि कमला हैरिस के लिए गैर-श्वेत लोगों में समर्थन बढ़ा है। इसके साथ ही डेमोक्रेटों में उनके लिए प्रचार करने का जोश भी काफी बढ़ा है। लेकिन कमला हैरिस को इस कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि वे 2020 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने में विफल रही थीं। इस तथ्य को देखते हुए उनको अपनी 'अप्रूवल रेटिंग' या समर्थन बढ़ाने के साथ ही अपने चुनाव प्रचार के लिए भारी मात्रा में फंड भी जुटाना होगा।

हालिया एनबीसी न्यूजपोल के अनुसार, ट्रंप बाइडेन से 43 के मुकाबले 45 प्रतिशत से आगे थे और हैरिस तथा उनके बीच भी 45 के मुकाबले 47 का अंतर था। लेकिन धीरे-धीरे यह स्थिति बदल रही है। लेकिन समय कम है और अब केवल 100 दिन बचे हैं। नवंबर के पहले हैरिस की टीम को ट्रंप को पराजित करने की रणनीति बनानी होगी। ट्रंप की टीम हैरिस को अनुभवहीन व खतरनाक बता रही है। उनको ट्रंप के अभियान में 'नस्लवाद' का सामना करना पड़ सकता है। यह चुनाव अमेरिका के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बाइडेन के पीछे हटने से डेमोक्रेटों में जोश है। अब कमला हैरिस की जिम्मेदारी है कि वे इसका लाभ उठाएं। आने वाले दिनों में तय होगा कि वे सफलता की दिशा में आगे बढ़ती हैं या नहीं।

कारगिल में भारतीय वायु सेना की जांबाज़ी

> इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की बहादुरी, सरलता और रणनीतिक महत्व को उजागर किया, जिसने आधुनिक युद्ध में इसकी विरासत को मजबूत किया।

दीपक कुमार पांडेय
(लेखक वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन हैं)

वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण मोल का पत्थर साबित हुआ, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध में भाग लिया। अप्रैल 1999 में, लगभग 1500 पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध तोड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर के कारगिल में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की।

भारतीय वायुसेना द्वारा कारगिल क्षेत्र में हवाई अभियानों को ऑपरेशन सफेदसागर नाम दिया गया था। 1990 के दशक में, उच्च ऊंचाई वाली चोटियों पर तैनात पाकिस्तान के गुप्त घुसपैठियों ने भारतीय सेना और द्रुस के लिए जम्मू और कश्मीर के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में सैन्य अभियान चलाना मुश्किल बना दिया था क्योंकि उनके सटीक स्थानों को इंगित करना असंभव था। ऑपरेशन सफ़ेदसागर ने एक अलग और चुनौतीपूर्ण सेटिंग में हवाई क्षमताओं के क्रांतिकारी उपयोग को चिह्नित किया। कारगिल संघर्ष में वायुसेना द्वारा वायु शक्ति का सफल उपयोग भारत के लिए गर्व का विषय है। युद्ध में वायु शक्ति की रणनीतिक तैनाती आवश्यक हो गई, क्योंकि इसने जमीनी सैनिकों को प्रभावी रूप से प्रत्यक्ष हवाई सहायता प्रदान की और दुश्मन के ठिकानों पर अत्यधिक सटीक बमबारी की, जिससे युद्ध के अंतिम परिणाम पर काफी प्रभाव पड़ा। भारतीय वायुसेना को अपने परिचालन क्षेत्रों के भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कारगिल क्षेत्र अपनी बहुत ही जटिल स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। उच्च ऊंचाई पर ऑपरेशन में शामिल होने से हमेशा कई कठिन बाधाएं आती हैं, जैसे कि विमान और हथियार दोनों की प्रभावकारिता में उल्लेखनीय गिरावट। लक्ष्य तक हथियार की डिलीवरी उच्च ऊंचाई पर मौसम से काफी प्रभावित होती है। हवाएं आमतौर पर शक्तिशाली और मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा आवश्यक 'न्यूनतम' से अधिक होती हैं। इसे देखते हुए, आवश्यक प्रक्षेपण को पूरा करने के लिए युद्धाभ्यास आवश्यक है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और मौसम संबंधी स्थितियों के बावजूद, ऑपरेशन ने असाधारण बहादुरी, दृढ़ता और प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। 23 जुलाई, 1999 तक भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर सफलतापूर्वक कब्ज़ा कर लिया, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता और बहादुरी का प्रमाण है, जो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। भारतीय वायुसेना ने कारगिल संघर्ष के दौरान कई अद्वितीय नवाचारों को सफलतापूर्वक तैनात करके असाधारण सरलता और संसाधनशीलता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य कई हथियार प्रक्षेपण रणनीतियों को विकसित करना और उनका उपयोग करना था। भारतीय वायुसेना ने मिराज-2000 विमानों से तैनात लेजर-निर्देशित बमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, ताकि विरोधी के रसद मार्गों को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किया जा सके, जो उनकी अभिनव रणनीति का प्रमाण है। लेजर-निर्देशित मिसाइल पॉड्स को द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 1000 किलोग्राम के बम ले जाने के लिए संशोधित किया गया था, विशेष रूप से अजीत विमान पर भंडारण के लिए।

मिराज-2000 विमानों ने तत्काल संशोधन करने के बाद पहली बार इन बमों का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर भारतीय वायुसेना ने हथियार-प्रभाव वाले क्षेत्रों को चुना, जो डोमिनोज़ प्रभाव को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे हिमस्खलन या भूस्खलन हो सकता है। उच्च ऊंचाई पर रॉकेट और हथियारों के लिए फायरिंग सीमा निर्धारित करने के लिए, दुश्मन की किलेबंदी की ऊंचाई से मिलते-जुलते विशिष्ट पर्वत शिखरों को निर्धारित करने के लिए एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में वास्तविक समय पर शूटिंग परीक्षण करने से इन हथियारों की दक्षता को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है।

मिराज-2000 लड़ाकू विमानों द्वारा छोड़े गए गोला-बारूद को निर्देशित करने के लिए मिग-29 विमानों पर स्थापित लेजर डिज़ाइनर का उपयोग करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इस अभिनव पद्धति का उपयोग करके, प्रभावों की सटीकता और दक्षता में काफी सुधार हुआ।

मिराज-2000 विमानों को लाइटनिंग पॉड्स से सुसज्जित किया गया था, जो लक्ष्य का पता लगाने में सुधार करते थे और निर्देशित मिसाइलों की सटीक लॉन्चिंग की सुविधा प्रदान करते थे। यह लड़ाकू अभियानों में द्रुख द्वारा अत्याधुनिक लक्ष्यीकरण तकनीक की पहली तैनाती थी।

कारगिल युद्ध में हवाई अभियानों के दौरान, सटीक हमलों की क्षमताओं ने वायु सेना को संपार्श्विक क्षति की मात्रा को कम करने और शत्रुतापूर्ण ठिकानों को बेअसर करने में मदद की। वायु शक्ति के कुशल उपयोग ने अधिक हताहतों को टाला है और युद्ध के मैदान पर भारतीय सेना की अवधि को काफी कम कर दिया है। कारगिल अभियान की गहन समझ एयरोस्पेस शक्ति में भारत के बदलते स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह युद्ध अत्यंत पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त मुठभेड़ों में वायुशक्ति के उपयोग का विश्लेषण करने के लिए एक असाधारण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

आप की बात

जाति-केन्द्रित विमर्श

आज देश का समग्र राजनीतिक चिन्तन और विमर्श सम्प्रदाय और जाति केन्द्रित हो गया है। इस महामारी की नींव उन्हीं विपक्षी दलों ने रखी है जिन्होंने संसद में जाति पूंछने पर हंगामा खड़ा कर रखा है। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती और डॉ अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने प्राणपण से अपना सारा जीवन लगा दिया। इसी दोष के चलते महान व गौरवशाली सनातन समाज मध्यकाल में कमजोर हुआ और देश को सैंकड़ो वर्षों तक विदेशियों की दासता सहनी पड़ी। हमने अतीत से भी कुछ नहीं सीखा। जो राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से देश के इस कोने से उस कोने तक जाति आधारित जनगणना की अलख जगा रहे हैं और जाति पूछते कैमरे पर कई बार रिकार्ड हुए हैं। लेकिन जब संसद में अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए अपनी बात रखी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जब जाति जनगणना वाले राहुल गांधी के घर जाएंगे तब भी तो वे राहुल से जाति पूछेंगे और उन्हें बतानी होगी। प्रश्न है कि जाति पूछना बाहर वैध और संसद में अवैध कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद तो विभिन्न जातियों की उप-जातियों में भी टकराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में जातिवाद कैसे समाप्त होगा और जाति-विहीन समाज कैसे बनेगा?

– **नरेन्द्र टोंक,** मेरठ

प्राकृतिक आपदायें

केरल के वायनाड में इन दिनों भूस्खलन की वजह से तबाही का मंजर बना हुआ है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 200 पार हो गई है और कई लोग लापता हैं। केरल, हिमाचल और उत्तराखंड पर्यावरण सेंसिटिव क्षेत्र हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी तादाद में निर्माण गतिविधियां कई वर्षों से चालू है जिनमें पर्यटकों के लिए बड़े होटल, सड़कें, सुरंगें आदि शामिल हैं। इनके लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ों की खुदाई हो रही है और बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। गत 7 दशकों में सिर्फकेरल में 65 प्रतिशत वन गायब हो गए हैं और अभी भी पेड़ों की कटाई जारी है। नए वृक्ष लगाने पर उनके विकसित होने में 10 वर्ष से अधिक समय लगता है, फिर भी वे पुराने घने जंगलों और विशाल पेड़ों जितने मजबूत नहीं होते। जिसके चलते पहाड़ी भूमि कमजोर होती जा रही है। मानवीय गतिविधियों और पर्यटन सुविधायें बढ़ाने के बावजूद इनका निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उस क्षेत्र की मिट्टी का कटाव ना हो और इकोसिस्टम मजबूत बना रहे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन जरूरी है। गांधीजी का कथन याद रखें कि प्रकृति के पास सबके लिए सब कुछ है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

भ्रष्टाचार का प्रकोप

विपक्ष ने कहा कि अंदर नए संसद की छत लीक हो रही है और संसद के बाहर पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन आरोप लगाने वाले स्वयं भ्रष्टाचार में गले तक डूबे रहे हैं। इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन की अधिकाँश पार्टियां केंद्र अथवा राज्यों में लम्बे समय तक सत्तारूढ़ रही हैं। कुछ पार्टियों को भ्रष्टाचार के कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद, दिल्ली में केजरीवाल की आप व अन्य पार्टियां भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में घुन की तरह लग गया है। लेकिन विडंबना है कि हर पार्टी स्वयं को दूसरे की तुलना में ज्यादा ईमानदार और दूसरे को भ्रष्ट ठहराने में ही समय बरबाद करती है, जबकि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। जब तक संकुचित व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार-उन्मूलन के प्रयास नहीं होते तब तक यह बना रहेगा और फलता-फूलता रहेगा। विडंबना है कि आज अनेक पार्टियां अपने नेताओं के भ्रष्टाचार आरोपों में जेल जाने और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के बावजूद उनको सर्वशुद्ध तथा उनके खिलाफ कार्रवाई को बदले की भावना बताती हैं। इस संकुचित दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सराहनीय निर्णय

शिक्षा मंत्रालय ने हाल में एक आदेश जारी किया है जिसमें देश के सभी स्कूलों में 10 दिन तक बच्चों को बैगलेस यानी बिना बैग के स्कूल जाना होगा। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की मांग होती रही है जो अब जाकर फलीभूत होती नजर आ रही है। इस आदेश के अनुसार बैगलेस वाले दिनों में बच्चों को विभिन्न स्थानों जैसे पंचायत, ऑफिस, गांव, बैंक, पार्क और विभिन्न तरह के शिक्षा संस्थानों में ले जाया जाएगा। वहां उन्हें विभिन्न तरह की जानकारियां मिलेगी। इससे उनका बौद्धिक विकास होगा। इसके अलावा उन्हें खिलाड़ियों, डिजाइनरों और अपने क्षेत्र के दिग्गज लोगों से मिलवाया जाएगा। इससे बच्चे न केवल खुश होंगे बल्कि निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा भी ले सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा इस संदर्भ में उठाया गया यह कदम वास्तव में ऐतिहासिक और सराहनीय है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा को मनोरंजक बनाने तथा प्राथमिक कक्षाओं में शारीरिक दंड न देने की संस्तुतियां की जाती रही हैं। विडंबना है कि ऐसी अनेक चीजें जमीन तक नहीं पहुंचती हैं।

-अंकित सोनी, मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

संघवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बेहतर सुरक्षा के लिए शक्ति को विभाजित करने के बारे में है। -एलिजाबेथ प्राइस फोले

महज बारह साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। यह अफसोसनाक है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी राजनीति का हिस्सा बन रही हैं।

दुष्कर्म और राजनीति

अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में महज बारह साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की घटना बेहद घृणित और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। कथित तौर पर यह पता चलता है कि करीब ढाई महीने पहले एक दिन पीड़िता मजदूरी करके घर लौट रही थी, तभी एक सपा नेता, जिन्हें फैजाबाद से सपा सांसद का करीबी बताया जाता है, की बेकरी में काम करने वाला कर्मचारी उसे फुसला कर बेकरी में ले जाता है और फिर नशीली दवा खिलाकर, दोनों उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ, जब बीती 29 जुलाई को पीड़िता के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ, जिसकी जांच में पता चला कि वह बारह हफ्ते की गर्भवती है। बात फैली तो एक विशेष समाज के लोगों में तो आक्रोश फैला ही, मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया। दरअसल, जब पीड़िता समाज के किसी कमजोर वर्ग की हो, तो राजनीतिक दल भी इसमें अवसर पहचान कर एक खास तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के राष्ट्रीय औसत को देखें, तो 2017 से 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधों में खासी कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में करीब पच्चीस फीसदी की कमी आई है और आंकड़ों की मानें, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति करीब सोलह राज्यों से बेहतर है। लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि विकास के दूसरे मापदंडों में भले ही हम ऊपर जाने का दावा करते हों, लेकिन हमारी सामूहिक नैतिकता अब भी सवालों के घेरे में है। ऐसे मामले, समाज में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर भी गंभीर चिंतन की आवश्यकता को तो रेखांकित करते ही हैं, यह भी दर्शाते हैं कि हमारी सोच में अब भी बदलाव की जरूरत है। हद दर्जे की इस अमानवीयता को अंजाम देने के मामले में योगी सरकार ने एक्शन में आते हुए आरोपी सपा नेता और उसके नौकर को गिरफ्तार किया ही है, अवैध निर्माण के आरोप में उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चलवा दिया है, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में आने वाली 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की ही पुष्टि होती है। लेकिन अब अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए अभियोजन पक्ष और न्याय प्रणाली का तेज गति से काम करना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें विलंब करने से न केवल पीड़िता और उसके परिवार की मानसिक यातना बढ़ती है, बल्कि समाज में अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते हैं।

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद

भारत एक राष्ट्र है। यहां केंद्र एवं राज्यों के अधिकार एवं शक्तियां संविधान के अनुसार बंटी हुई हैं। राजनीतिक लोग व्यक्तिगत लड़ाइयों में अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उनके क्षुद्र संघर्षों में अंततः नुकसान जनता का ही होता है।

मनीषा प्रियम
राजनीतिक विश्लेषक

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद का संघर्ष भारतीय राजनीति में नया नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादा उभर रहा है। हाल के दो मामलों में देखें, तो यह कुछ स्पष्ट होगा। 27 जुलाई को हुई नीति आयोग की बैठक में गैर-भाजपा शासित राज्यों के करीब दस मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। इंडिया गठबंधन से अलग होकर ममता बनर्जी जरूर इसमें शामिल हुईं, लेकिन वह भी यह आरोप लगाकर बाहर निकल गईं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें नियमानुसार बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। साथ ही बारी से पहले बोलने के उनके आग्रह को भी स्वीकारा गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया। ममता के बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकलने का राजनीतिक नतीजा यह हुआ कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा सेट किया कि राज्यों के कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख प्रशासन के वह कैसे वाहक बनेंगे, इस पर कोई विशेष चर्चा जनता के बीच नहीं हुई। सिर्फ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मामले बनाम केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति ही सुर्खियां बनीं।

दूसरा मामला, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए। इस बयान को भी ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वह बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। इससे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आग-बबूला हो सकते हैं। निशिकांत के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी सांसद के अलावा अन्य किसी जिम्मेदार पद पर नहीं हैं। लेकिन राजनीति में तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। विपक्ष पहले से ही इस बात को लेकर हमलावर है कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। इस बयान को आधार बनाकर विपक्षी नेता आगामी कुछ महीनों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की खबरें भी राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनती रही हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों के राज्यपालों से टकराव तो अदालतों तक पहुंच चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संसद में विपक्ष के मजबूत होने से संघवाद बनाम क्षेत्रवाद की लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है।

लोकसभा चुनाव में एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा प्रभावशाली थी, तो दूसरी तरफ उसके विरोध में कई प्रांतों में क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए। यानी प्रतिस्पर्धा द्विदलीय न होकर भाजपा बनाम क्षेत्रवाद बन गई। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में द्रमुक ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच टकराव था। यहां तक कि राज्यपाल ने राज्य के संयुक्त विधानसभा सत्र की बैठक में अभिभाषण (जो राज्य सरकार द्वारा लिखित एवं अनुमोदित होता है) पढ़ने से इन्कार कर दिया था। ऐसा ही कुछ केरल में भी हुआ। यहां राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान एवं वामपंथी गठबंधन के मुख्यमंत्री पी विजयन के बीच सर्वाधिक मतभेद विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर हुआ।

कहने का मतलब कि हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बहसबाजी हुई और राज्य सरकारों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कानूनी मसले थोड़े क्लिष्ट हैं, किंतु इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में यह लड़ाई राजनीतिक है। इस राजनीतिक दंगल का सबसे बड़ा प्रतिरूप पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा से जमकर लोहा ले रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़ी मुहिम चलाई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव अभियान की बागडोर अपने हाथों में रखी। लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला अस्मिता के नाम पर क्षेत्रवाद का झंडा बुलंद कर फिर से सत्ता में लौट आईं।

अब तक माना जाता रहा है कि राज्यों के चुनाव में ही स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीयता हावी रही। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता ने स्पष्ट किया कि भारत राज्यों की संघीय व्यवस्था है। पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस न्यायालय के सहयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिवंध लगा पाए हैं।

वहीं ममता बनर्जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह गुहार लगाई है कि विधानसभा द्वारा पारित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय से लटकाए रखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला भी अधर में लटका हुआ है। न्यायालय ने राज्यपाल कार्यालय और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। राज्यपाल इन आरोपों का खंडन करते हैं। कुल मिलाकर मामला भले ही न्यायालय में लड़ा जा रहा हो, पर यह वास्तव में केंद्र बनाम राज्य तथा संघवाद के ऊपर छिड़ी सघन राजनीतिक लड़ाई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) का बंटवारा किया गया है। फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच हितों और शक्तियों के उपयोग को लेकर समय-समय पर टकराव देखे जाते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गुलेल चलाने से संघीय प्रणाली नहीं बदलने वाली है। नीति आयोग की बैठक में गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों का हिस्सा न लेना, ममता बनर्जी का बैठक छोड़कर बाहर आना, निशिकांत दुबे के बयान को तूल देना यह सब राजनीतिक तिकड़मबाजी है। संघवाद बेहतर चले इसके लिए केंद्र तथा राज्यों में सौहार्द्र बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि शासन-प्रशासन सुचारू ढंग से चले।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

गैब्रियल गार्सिया मार्खेज

जैसे सूर्य की रोशनी अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही खुद के भीतर वह प्रकाश लाएं, जिससे आप जीवन के अंधेरे को दूर कर सकें। हमारे हर कदम के पीछे एक रहस्यमय शक्ति छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ाती है।

दिखावा प्रेम को नष्ट कर देता है

मनुष्य का जन्म एक बार और हमेशा के लिए उस दिन नहीं होता, जिस दिन उसकी मां उसे जन्म देती है, बल्कि जीवन-चक्र उसे बार-बार खुद को जन्म देने के लिए मजबूर करता है। और जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या याद रखते हैं और उसे कैसे याद रखते हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही खुद के भीतर वह प्रकाश लाएं, जिससे आप अपने जीवन में मौजूद अंधेरे को दूर कर सकें। हमारे द्वारा दिल से उठाए गए हर कदम के पीछे एक रहस्यमय शक्ति छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ाती है।

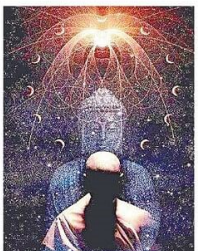

जीवन में खुश रहिए, क्योंकि कोई भी दवा उस चीज को ठीक नहीं कर सकती, जिसे खुशी ठीक नहीं कर सकती। सच्चा दोस्त वह है, जो कठिन क्षणों में हमारा हाथ थाम ले और हमारे दिल को छू ले। समय की गति हवा की तरह होती है, जो जल्दी हमें दिखती नहीं है। अक्सर हमें पता नहीं चलता कि यह आखिरी बार है। अगर मुझे पता होता कि आज मैं अपने दोस्त को आखिरी बार देखूंगा, तो मैं उसे कसकर गले लगा लेता और प्रार्थना करता कि प्रभु उसकी रक्षा करें। अगर मुझे पता होता कि यह आखिरी बार होगा, जब मेरा दोस्त इस दरवाजे से गुजरेगा, तो मैं उसे गले लगाता और एक बार फिर उसे वापस बुलाता। अगर मुझे पता होता कि यह आखिरी बार होगा, जब मैं अपने दोस्त की आवाज सुनूंगा, तो मैं उसके हर शब्द को बार-बार सुनने के लिए उन शब्दों को सीने में कैद कर लेता। अगर मुझे पता होता कि यह आखिरी बार है, जब मैं उसे देख रहा हूं, तो मैं उसे बताता कि यह दोस्ती कितनी अनमोल है। मैंने पाया कि हर चीज को सही जगह, सही समय पर रखने और हर शब्द को सही ढंग से रखने का मेरा जुनून एक व्यवस्थित दिमाग का इनाम नहीं था, बल्कि ठीक इसके विपरीत था। अपने स्वभाव की अव्यवस्था को छिपाने के लिए यह मेरे द्वारा आविष्कृत ढोंग की एक चाल थी। मैंने पाया कि मैं सद्गुणों के कारण अनुशासित नहीं हूं, बल्कि अपनी लापरवाही की प्रतिक्रिया में हूं, कि मैं अपनी बुराई को छिपाने के लिए उदार दिखाई देता हूं, कि मैं खुद को समझदार दिखाता हूं, क्योंकि मैं दुष्ट-मन का हूं। लेकिन मैंने सीखा कि व्यवस्थित दिखावा प्रेम को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में सबसे सच्चे मन से प्रेम करें, दिखावा नहीं, क्योंकि एक समय आएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि यह आखिरी बार है।

सपने देखिए, बूढ़े नहीं होंगे

सूत्र

हमें प्रेम करना सीखना होगा। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई कैसे खुश रह सकता है, तो इसका एक ही उत्तर है कि हमें खुद से प्रेम करना चाहिए। हमें सपने देखना चाहिए, लोग कहते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं। वे बूढ़े इसलिए होते हैं, क्योंकि वे सपने देखना छोड़ देते हैं।

स्मरण

हाल ही में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति हमारे बीच नहीं रहीं। उनके साक्षात्कार का अंश-

कुचिपुड़ी का जीवंत अभिनय मेरे स्वभाव के अनुकूल है

मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पिता और मेरी बहन, दोनों का मुझे भरपूर समर्थन मिला। उन दिनों, अपनी बेटी को बिना शादी के दुनिया भर में नृत्य करने देना कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे पिता, नृत्य सिद्धांत में विद्वान होने के अलावा हमेशा मेरे स्वभाव और मेरे जुनून से परिचित थे। वह हमेशा मेरी ताकत और मजबूत सहारा बने रहे। मुझे सभी पिल्लई गुरुओं से सीखने का सौभाग्य मिला- गुरु किट्टप्पा पिल्लई, गुरु एलप्पा पिल्लई और अन्य। मेरी बहन ज्योतिष्मती भी अपने आप में एक अद्भुत कलाकार हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत 'कृष्ण शब्दम्' ने मुझे बहुत प्रसिद्ध कर दिया, और हर जगह श्रोता उसकी दोबारा प्रस्तुति की मांग करते थे! उनके सहयोग के बिना, मुझे नहीं पता कि मैं कहां होती!

यामिनी कृष्णमूर्ति
(20.12.1940-3.08.2024)

शुरुआत में मैं भरतनाट्यम नृत्य करती थी। कुचिपुड़ी की तरफ रुझान मेरे गुरु के प्रोत्साहन के कारण हुआ। मैं लगभग 21-22 साल की उम्र में ही चेन्नई में एक स्थापित भरतनाट्यम की कलाकार बन गई थी। उसी समय, वेदांतम लक्ष्मीनारायण शास्त्री चेन्नई में नृत्य गुरु थे। वह रिक्शे पर घर-घर जाकर लोगों को नृत्य का प्रशिक्षण देते थे। एक दिन वह मेरे घर आए और कहा कि एक तेलुगु लड़की होने के बावजूद कुचिपुड़ी के तेलुगु कला रूप को अपनाने के बजाय भरतनाट्यम की ओर मेरा रुझान अधिक क्यों है। फिर मैं उनके संरक्षण में आ गई और सबसे पहले जो मैंने सीखा, वह था दशावतार शब्दम। बस, फिर मैं कुचिपुड़ी से जुड़ गई। कुचिपुड़ी का जीवंत अभिनय, सहजता, तेज नृत्य, ये सब मेरे स्वभाव के अनुकूल था। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे आधुनिक कुचिपुड़ी को आकार देने वाले त्रिदेवों से कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण मिला : वेदांतम लक्ष्मीनारायण शास्त्री, चिंता कृष्णमूर्ति और पसुमर्थी वेणु गोपाल शर्मा! 1960 के दशक की शुरुआत में संगीत नाटक अकादमी के सम्मेलनों में केवल चार भारतीय शैलियों को शास्त्रीय नृत्य माना जाता था, और कुचिपुड़ी उनमें नहीं थी। कुचिपुड़ी प्रशिक्षित नृत्य गुरुओं की बहुतायत के कारण उसे 'फिल्मी नृत्य' कहा जाता था। हालांकि, 1958 में वंदा कनकलिंगेश्वर राव, विसा अप्पा राव और अन्य के नेतृत्व में नाट्य कला सम्मेलन में कुचिपुड़ी को थोड़ी-बहुत मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी। उसी समय मेरी लोकप्रियता बढ़ी और पूरे देश भर में मैंने आंध्र महासभाओं और तेलुगु संघों में प्रदर्शन किया। लंदन में राष्ट्रमंडल सम्मेलन में कचिपुड़ी पेश करने वाली मैं पहली नृत्यांगना थी। मैंने यूरोप, रूस, अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रदर्शन किया। मैं जहां भी गई, लोगों ने मेरे कुचिपुड़ी प्रदर्शनों की प्रशंसा की। मैंने अपने प्रदर्शन कॅरिअर के अंतिम वर्षों में भी कुचिपुड़ी के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

आंकड़े

विदेशी मुद्रा भंडार

मार्च, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन में है और उसके बाद हमारे देश में है।

आंकड़े अरब डॉलर में | स्रोत : सेंट्रल बैंकों के वेबसाइट पेज

हम सभी घृणा, लज्जा, भय, मान, कुल, शील, जाति तथा अभिमान-इन आठ बंधनों में जकड़े रहते हैं। इनसे मुक्त होकर ही साधना की जा सकती है।

ईश्वर साधना और बंधनों का त्याग

अंतर्यात्रा
संकलित

रामकृष्ण परमहंस पंचवटी के जंगलों में साधना करते थे। वह रात के अंधेरे में जंगल पहुंचते और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो जाते। उनका कहना था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। उनका भांजा हृदयराम नहीं चाहता था कि वह कोई भी खतरा मोल लें और इतने भयानक जंगल में जाएं। इसलिए वह उन्हें डराने के लिए उनके पीछे-पीछे जाता और छिप-छिपकर उन्हें डराता, कंकर-पत्थर आदि फेंकता, भांति-भांति की आवाजें निकलाता, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, बल्कि रामकृष्ण परमहंस यह जान गए कि यह सब हृदयराम की ही शरारत है। इसी प्रकार हर रात की तरह एक रात जब वह ध्यान में मग्न थे, तो हृदयराम उन्हें देखकर चौंक गया, क्योंकि उनके तन पर वस्त्र एवं यज्ञोपवीत कुछ भी नहीं था। वह डर गया और उसने उन्हें समाधि से उठा दिया। उसने पूछा, आपने अपने वस्त्र और यज्ञोपवीत क्यों उतार दिए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं बंधन-मुक्त होकर ध्यान करना चाहता हूं। हम सभी घृणा, लज्जा, भय, मान, कुल, शील, जाति तथा अभिमान-इन आठ बंधनों में जकड़े रहते हैं। उन्होंने हृदयराम को तसल्ली देते हुए कहा, ये सब वस्तुएं साधना में बाधा न बनें इसलिए उतारी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब वापस आऊंगा, तो इन्हें जरूर पहन लूंगा।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 नवंबर, 1985

पुलिस हिरासत में युवती से दुष्कर्म

पुलिस हिरासत में युवती से बलात्कार

श्रीगंगानगर, 31 अक्तूबर (वार्ता)। जिले के हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने का गम्भीर प्रकरण में आया है।

२२ अक्तूबर को अतीरिक्त थाना के नजदीक से एक युवती ग्रामवासी को रात्रि दौरे अपने साथियों को चौकीदार के लिये सवारी और जानुशी करने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि इस युवती के साथ थाने में दो बार बार में पुलिसवाले के जान पर एक सुनसान स्थान पर सेलाकार बार बलात्कार किया गया।

श्रीगंगानगर जिले के हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित थाने में एक युवती के साथ कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। युवती, उसकी मां और तीन अन्य व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए तस्करी एवं जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

शहरों के सौंदर्य की किसे पड़ी है

अवैध निर्माण के उत्तरदायी मात्र कानून तोड़ने वाले नहीं, बल्कि वह पूरा महकमा होता है, जिसे कानून पालन की जिम्मेदारी दी जाती है।

विवेक एस अग्रवाल | मुद्दा

इन दिनों प्रायः संपूर्ण राष्ट्र में शहरों को विकसित करने के नाम पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का सबसे बड़ा दंश वे झेल रहे हैं, जिनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। आर्थिक रूप से कमजोर और किसी तरह आजीविका चलाने वाले ये लोग शहरी अतिक्रमण हटाओ दस्ते के दायरे में आ रहे हैं। जिनके पास साधन हैं, वे न्यायालय से स्थगन ले बेखौफ रहते हैं। एक बहुत बड़ा तबका सब कुछ जानते-समझते हुए भी नियम-कानून तोड़ता रहता है, क्योंकि उसके पास बचाव के संसाधन उपलब्ध हैं।

नियम-कानून की अवहेलना से सरकारी प्रतिष्ठान भी अछूते नहीं हैं। सरकार की ओर से विकसित की जा रही सुविधाओं में भी विधि सम्मत प्रावधान नहीं पाए जाते हैं। अधिकांशतया सार्वजनिक उपयोग के स्थल, जैसे उद्यान, सामुदायिक केंद्र और सड़कों के निर्माण में पूरी तरह से कानून का पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण पैदल चलने वाले, खासकर दिव्यांग, महिलाएं एवं वरिष्ठजन इनके उपयोग से वंचित रह जाते हैं।

शहरी व्यवस्थाओं के विकास पर ग्रामीण इलाकों की तुलना में प्रति व्यक्ति व्यय अधिक हो रहा है और उसका लाभ भी हर व्यक्ति की पहुंच से दूर है। शहरों के विकास हेतु विभिन्न मदों में व्यय के प्रावधान किए गए हैं और शहरों के इर्द-गिर्द ही विशेष सुविधाओं का निर्माण भी किया जाता है। शैक्षणिक हों अथवा चिकित्सकीय संस्थान या कोई अन्य उत्कृष्टता केंद्र, सभी की स्थापना नगरीय सीमा में ही की जाती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम ने अपने दृष्टि पत्र में शहरों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने का मंत्र दिया था। उसके पीछे तर्क यही था कि इससे पलायन रुकेगा, सतत विकास के साथ नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन अब भी प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों को ही मिलती है।

कई बार यह तर्क भी दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान कम है, किंतु बीते कुछ वर्षों में उनके द्वारा व्यय में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीणों द्वारा अप्रत्यक्ष कर अदा किया जा रहा है, अतः उस दृष्टि से भी देखा जाए, तो अनुपातिक विकास के प्रावधान नहीं रहते हैं। बिडंबना तो यह है कि शहरों में निर्माण के साथ विनिर्माण पर भी सामाजिक व्यय हो रहा है।

अधिकांश शहर अव्यवस्थित, अनियोजित, अस्त-व्यस्त विकास से ग्रस्त हैं। संभवतः शहर निर्माण और नियम-कानून की अनदेखी के पर्याय बन गए हैं। किसी भी बजट या आय-व्यय के ब्योरें में इसका उल्लेख नहीं रहता कि अवैध निर्माण हटाने में कितने संसाधन खर्च हुए। उसका सांख्यिकीय आकलन किए बिना जवाबदेही तय करना दुष्कर हो जाता है।

अवैध निर्माण या अतिक्रमण रातों-रात नहीं होते, इसलिए इसके उत्तरदायी मात्र कानून तोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह पूरा महकमा होता है, जिसे कानून की पालना करवाने के लिए वेतन-भत्ते दिए जाते हैं। शायद ही कभी अतिक्रमण के मामले में महकमे के किसी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई हुई हो। अतिक्रमण के मामले में सभी पक्षों- अवैध निर्माणकर्ता, पर्यवेक्षक एवं जिम्मेदार महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों-को दंडित किया जाना चाहिए। अगर सख्ती से सेवा दोष के तहत उन जिम्मेदार कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होती, तो अवैध निर्माण या अतिक्रमण पर विराम लग गया होता।

अनेक शहरों में न्याय के रक्षकों के आवास के बाहर फुटपाथ और रास्तों पर अवैध रूप से हो रहे विस्तार को देखा जा सकता है। न्यायालयों का स्व-संज्ञान भी गाड़ियों द्वारा ट्रैफिक जाम के लिए तो हो जाता है, किंतु पैदल यात्रियों को होने वाली असुविधा पर उनका ध्यान नहीं जाता। नगर नियोजन में एक अहम कड़ी वास्तुकार और नगर नियोजक विशेषज्ञ भी होते हैं। लेकिन ये भी अंधाधुंध तरीके से निर्माण की स्वीकृति दे देते हैं। आजतक किसी भी नगर नियोजक या वास्तुकार को दोषी नहीं ठहराया गया है।

ऐसा लगता है कि शहरों को विकृत करने में सभी लगे हुए हैं और 'सब चलता है' या 'जब कोई आवाज उठेगी, तब देखा जाएगा' के सिद्धांत पर सभी चल रहे हैं। शहरों को जीने योग्य बनाने के लिए एक सशक्त सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है, जो अनुशासन को कायम करने में सरकार के साथ सेतु बन कार्य करे एवं दोषियों को यथोचित दंड तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए। मात्र सरकार के भरोसे अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता। आम आदमी को भी सरोकार रखना होगा, अन्यथा इस चुप्पी का खामियाजा सबको भुगतना होगा।

दैनिक जागरण
आत्मा की शुद्धि से ही परमात्मा की सिद्धि संभव है

सुधार की सही पहल

केंद्र सरकार की ओर से विवाद का विषय बने वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी समय की मांग है। इस अधिनियम में व्यापक संशोधन-परिवर्तन किए जाने की संभावना है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि इस अधिनियम में किस तरह के संशोधन-परिवर्तन होंगे, लेकिन यह तय है कि वक्फ बोर्डों की संपत्ति के दावे संबंधी जो भी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं, उनमें कटौती होगी। यह होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य का वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो बिना सत्यापन वह उसके अधिकार क्षेत्र में मान ली जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संबंधित संपत्ति उसकी है। इस तरह की व्यवस्था न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वक्फ बोर्डों को कैसे मनमाने अधिकार हासिल हैं। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उस मामले से मिलता है जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड ने एक गांव के मंदिर और उसके आसपास की जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया था। यह इसलिए हास्यास्पद था, क्योंकि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना अर्थात इस्लाम के उदय के पहले का था। वक्फ बोर्डों की मनमानी के ऐसे अन्य अनेक मामले भी हैं।

वक्फ अधिनियम में केवल इसलिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति के दावे संबंधी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए ताकि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग और उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। देश भर में वक्फ बोर्डों के पास 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो नौ लाख एकड़ में फैली हुई हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारों को वक्फ बोर्डों को अनुदान देना पड़ता है। यह है कि वक्फ की संपत्तियों का सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन पर केवल अवैध कब्जे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें गलत तरीके से बेचा भी जा रहा है। ऐसे कुछ मामलों की जांच भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे मामले की जांच सीबीआइ की ओर से की जा रही है। वक्फ की जमीन का उपयोग घोषित उद्देश्यों अर्थात मजहबी एवं मुस्लिम समाज के कल्याण के कार्यों में ही होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है और वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई का बेजा लाभ वक्फ बोर्डों पर काबिज लोग उठा रहे हैं। इसी कारण वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के निर्धन-वंचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन-परिवर्तन के विवरण से परिचित हुए बिना कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनके पास ले-देकर यही कुतर्क है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं। उनकी ओर से ऐसा ही कुतर्क तीन तलाक मामले में भी दिया जा रहा था। यदि मुस्लिम नेता यह नहीं चाहते कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जारी रहे तो उन्हें वक्फ अधिनियम में सुधार की पहल का समर्थन करना चाहिए।

एससी-एसटी एक्ट

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि बात का बतंगड़ बनाकर फंसाए गए लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान करने वाला है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित नहीं जानता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो ऐसे विवादों में एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में यह परंपरा बन गई है कि छोटे से छोटे विवाद में भी यदि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो बिना यह विचार किए कि प्रकरण सार्वजनिक अपमान का बनता है या नहीं पुलिस इस अधिनियम की सख्त धाराएं लगा देती है। इसीलिए न्यायालय ने पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठाते हुए उसे सतर्की ठहराया है। कोर्ट ने कहा, किसी चश्मदीद गवाह का बयान नहीं लिया और यह पता करने की कोशिश नहीं की कि घटना पर एससी-एसटी एक्ट का अपराध बनता भी है अथवा नहीं? किसी के चोटिल होने की रिपोर्ट नहीं है और पहचान परेड भी नहीं कराई गई किंतु चार्जशीट दाखिल कर दी गई। एससी-एसटी एक्ट के तहत समाज के वंचित व कमजोर वर्ग के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है कि कोई उनका अपमान न कर सके। यह एक आदर्श व्यवस्था है, यह होना भी चाहिए किंतु हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग के प्रति चिंता भी व्यक्त की है और कई निर्णय देकर दुरुपयोग वाले बिंदुओं पर स्पष्टता दर्ज की है। कई बार तो केवल विरोधी पक्ष को फंसाने या अपनी बचत की पेशबंदी की नीयत से ही इस अधिनियम का दुरुपयोग होता है। पिछले वर्ष भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बाद में निर्णय दिया था कि जानबूझकर अपमानित करने के किसी कृत्य के लिए एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे निर्णयों से दुरुपयोग रुकेगा और पुलिस भी संवेदनशीलता के साथ विवेचना करेगी।

जल निकासी में असहाय शहर

विवेक देवराय

यदि हमें अपने शहरों को रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण की योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा

आदित्य सिन्हा

हर साल मानसून के दौरान हमारे शहरी ढांचे के हाल बेहाल दिखने लगते हैं। छोटे शहरों की बात छोड़िए, थोड़ी देर की बारिश में ही मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती है। सड़कों पर पानी का सैलाब आ जाता है। खुले नालों और मेनहोल में डूबने से लेकर करंट लगने से लोगों की जान चली जाती है। बस्तियां पानी में डूब जाती हैं। परिवहन व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। कुल मिलाकर, जान-माल की भारी क्षति के साथ ही लोगों की भारी असुविधा की स्थिति से दो-चार होना पड़ता है। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल करें तो अपर्याप्त ड्रेनेज यानी नाकाफी निकासी तंत्र, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे पहलू सामने आते हैं। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में ड्रेनेज व्यवस्था इतनी लुंजपुंज है कि वह पानी की समुचित निकासी नहीं कर पाती, वहीं जल शरिषों पर अतिक्रमण ने स्थितियों को और खराब कर दिया है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम कालबाह्य हो चुका है और वह भारी बारिश की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं। ऊपर से शहरों में बढ़ता कचरा, निर्माण के बाद बचा हुआ मलबा, नालों में जमा गाद बारिश में स्थितियों को और बिगाड़ देती है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीएचईईओ) का मानक ढांचा भी बाढ़ नियंत्रण के पुराने मापदंडों पर आधारित है। इससे समस्या और विकराल हो जा रही है। अनियोजित शहरीकरण के चलते ड्रेनेज चैनलों और प्राकृतिक जल शरिषों पर अतिक्रमण बढ़ा है। इससे अतिरेक पानी की निकासी के मोर्चे पर शहर असहाय होते जा रहे हैं। डूब क्षेत्र में निर्माण जारी हैं। मिसाल के तौर पर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे अड्यार नदी पर बनाया गया है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में भी ऐसे निर्माण के बहुतेरे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्हें जल शरिषों को पाटकर बनाया गया। सिकुड़ता हरित आवरण भी पानी को सोखने की क्षमता घटा रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने वर्षा के तेवर भी बदल दिए हैं। ऐसे में इन स्थितियों पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय तलाशना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो गया है।

इस दिशा में सबसे पहला उपाय तो ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने के रूप में करना होगा। इसके लिए आधुनिक हाइड्रोलाजिकल डाटा के आधार पर मौसम के पैटर्न और वर्षा के हालिया रुझान का आकलन करते हुए ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। नियमित तौर पर उनका बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। समय-समय पर उसकी साफ-सफाई की जाए। इन गतिविधियों के लिए विशेष वित्तीय कोष की व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज सिस्टम को सुचारु ढंग से चलाए रखने के लिए जीआइएस मैपिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि कहीं भी उसके अवरुद्ध होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को नई परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर उन्नत बनते रहना चाहिए। अभी सीपीएचईईओ के जो मानक हैं वह बाढ़ नियंत्रण के दशकों पुराने एवं अप्रासंगिक प्रारूप पर आधारित हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते मौसमी परिदृश्य पर आ रहे परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हैं। यही कारण है कि एकाएक हुई तेज वर्षा के समय हमारा समूचा तंत्र चरमरा जाता है।

अवधेश राजपूत

इस समस्या के समाधान में उस स्पांज सिटी संकल्पना को अपनाना भी उपयोगी साबित हो सकता है, जो शहरों को वर्षा के पानी को संभालने, स्टोर करने एवं उसके शोधन में सक्षम बनाता है। इस दिशा में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए फुटपाथ के नीचे जल संरक्षण, ग्रीन रूफ, रेन गार्डन और शहरी आर्द्रभूमियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इससे भूजल रीचार्ज की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। नई शहरी परियोजनाओं में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के समावेश को अनिवार्य किया जाए और पुराने ढांचे की नई तकनीक से उन्नत करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाए। ऐसे ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रभावी रखरखाव की दिशा में स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए।

प्राकृतिक जल शरिषों और ड्रेनेज चैनलों का प्रभावी प्रबंधन भी शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करने में सहायक होगा। इन पर अतिक्रमण की स्थिति में शासन-प्रशासन को शिकंजा कसना होगा और डूब क्षेत्र में निर्माण को लेकर समग्र प्रभावों का संज्ञान लेने वाली किसी व्यापक योजना पर काम करना होगा। इसमें अवैध ढांचों से मुक्ति का भी कोई मार्ग निकालना होगा। जल शरिषों के निकट प्राकृतिक पर्यावास और बफर जोन के निर्माण को भी प्रोत्साहन आवश्यक है। ड्रेनेज सिस्टम को अटकाने में एक बड़ी हद तक जिम्मेदार ठोस कचरे के उचित प्रबंधन का भी उपाय तलाशना जरूरी हो गया है। इसके लिए कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रभावी पृथक्करण और अंततः सही निपटान का एक कारगर तंत्र विकसित करना होगा। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ाई करनी होगी। इस मामले में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना समय की आवश्यकता बन गई है कि इस मोर्चे पर हीलाहवाली का दुष्परिणाम अंततः उन्हें ही झेलना पड़ता है।

अगर हमें अपने शहरों की क्षमताएं सुधारकर उन्हें रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा। हमें एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो एकाएक तेज बारिश से होने वाले जलभराव से राहत दिला पाए। इन नीतियों में अपेक्षाकृत ऊंची इमारतों से लेकर सक्षम ड्रेनेज प्रणाली जैसे पहलू निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा ढांचे को भी नए समय की चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)
response@jagran.com

लैंगिक समानता की दिशा में सही कदम

ऋतु सारस्वत

बजट में नारी उत्थान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता तो झलकती है, मगर चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है

नारी सशक्तीकरण को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने हालिया बजट में लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। इस राशि का उपयोग महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम, स्वयं-सहायता समूहों के लिए बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने और उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने में होगा। इन कदमों से कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के चलते महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में 'लैंगिक बजट' पर सरकार का खर्च अब तक व्यय की जाने वाली राशि में सर्वाधिक होगा। अब यह सरकार के कुल व्यय का 6.5 प्रतिशत हो चुका है। पिछले दो दशकों का यह औसत 4.8 रहा है।

कार्यबल में बढ़ेंगी महिलाओं की भागीदारी। फाइल

भारत में लैंगिक बजट वित्त वर्ष 2005-06 में यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि विकास के लाभ से आधी आबादी वंचित न रहने पाए। अन्य अनेक देशों ने भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट बनाने शुरू किए हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे बजट बनाने की शुरुआत 1984 में आस्ट्रेलिया ने की, जिसका अनुसरण कई देशों ने किया। किसी भी देश के लिए लैंगिक समानता के सभी आयामों तक पहुंच बनाने के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट बनाना होता है, उतना ही आवश्यक लैंगिक समानता पर दृष्टि रखने के लिए व्यापक प्रणालियों को विकसित करना भी। सक्षम प्रणालियों के बिना देश लैंगिक समानता कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन और व्यय नहीं कर सकते। 2013 में मोरक्को के वित्त मंत्रालय ने लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की, जो सांसदों को जानकारी प्रदान करता है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक नीतियां लैंगिक समानता की दिशा में कैसे काम कर रही हैं? आस्ट्रिया वैश्विक स्तर पर उन देशों में अग्रणी है, जिसने संविधान में लैंगिक समानता को शामिल किया। अपने देश में 2005-06 में लैंगिक बजट की शुरुआत के बाद मार्च 2007 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 'जेंडर बजट सेल' स्थापित किया। इसी क्रम में 2013 में लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट को संस्थागत करने की दिशा में एक विस्तृत निर्देशिका जारी की गई।

लैंगिक समानता की बाधाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न घटकों पर काम किया जा रहा है। चूंकि लैंगिक समानता के सभी घटक अंतर्संबंधित हैं इसलिए किसी एक की अवहेलना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसी कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। दुनिया भर में हुए शोध यह सष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता नारी सशक्तीकरण की अपरिहार्य शर्त है। वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान 'प्रणालीगत पूर्वाग्रह और धारणा संबंधी' चुनौतियां हैं, जो अक्सर वित्तपोषण करने की क्षमता सीमित कर देती हैं। समाज में परंपरागत भूमिकाएं भी महिलाओं की आत्मनिर्भरता के मार्ग को दुष्कर कर देती हैं। वित्तीय स्वावलंबन के दो आयाम हैं। पहला, किसी रोजगार में संलग्न होना और दूसरा, स्वरोजगार। इन दोनों ही क्षेत्रों की अपनी-अपनी मुश्किलें हैं। शहरी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न महिलाओं के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा सुरक्षित और किफायती आवास है। इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति कामकाजी माताओं की है। 'वुमेन इन इंडिया इंक एचआर मैनेजर्स सर्वे' के अनुसार 34 प्रतिशत महिलाएं कार्यजीवन में असंतुलन के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का प्रविधान करके कार्यबल में महिलाओं की अहम भूमिका को मान्यता दी है। इन छात्रावासों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित एवं अनुकूल परिवेश प्रदान करना है, जिससे वे सुविधा और सुरक्षा से समझौता किए बगैर कार्य कर सकें। इसके साथ ही कामकाजी माताओं के लिए पेशेवर और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए क्रेच की घोषणा यह स्पष्ट करती है कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने का है, जिससे वे सशक्त बन सकें।

इस बार बजट में उन महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, जो बिना किसी गारंटी के ऋण पाने के लिए संघर्ष करती हैं। इन महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण की ऊपरी सीमा को दोगुना करके 20 लाख किया जाना उत्साहवर्धक है। आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की बाजारों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और उनकी क्रयशक्ति बढ़ाता है। आत्मनिर्भर महिलाएं घर एवं बाहर, दोनों ही जगह निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता घरेलू हिंसा से मुक्ति का मार्ग भी है। बजट 2024-25 की घोषणाएं लैंगिक समानता और नारी सशक्तीकरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को तो स्पष्ट कर रही हैं, पर उनकी असल चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है। महिलाओं को कौशल प्रदान करने या उनके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की ज्यादातर पहल नेक इरादों से शुरू होकर बाद में अपनी गति को प्राप्त हो जाती है, इसलिए धन आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं। इसके साथ एक ऐसे तंत्र को भी स्थापित करने की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के बजट में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हों।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर दर्शन

अपनी श्रद्धा से हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, वह कहां है? यदि वह है तो हमें दिखता क्यों नहीं? सर्वज्ञान हमें यह समझना होगा कि ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि इंद्रियों के द्वारा लाई गई जानकारी को सत्य मानती है। जबकि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों की सीमा से परे है। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता जैसे कि सर्दी-गर्मी, दुख-सुख इत्यादि, किंतु वे नहीं हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनका अनुभव किया है।

सूक्ष्म परमाणुओं या जीवाणुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ईश्वर को हम अपने स्थूल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। हमें अपने मन और बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना होगा। यदि तालाब जलकुंभी से भरा हुआ हो तो उसके नीचे का जल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विकारों ने, संसार के प्रति अतिशय आसक्ति ने हमारे आत्मा को आच्छादित कर रखा है, तो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? मन सदैव विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। वह एक लक्ष्य पर बड़ी कठिनाई से स्थिर हो पाता है। निरंतर बहिर्मुखी रहना उसका स्वभाव बन चुका है। विषयों में, भोग में मन डूबा भी रहे और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं, आखिर दो विरोधाभासी बातें कैसे संभव है? ऐसा देखने के लिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति को त्याग कर अपने अंतरतम में देखने की विद्या विकसित करनी होती है, जिसमें साधक वर्षों बिता देते हैं। यदि किसी छोटी कक्षा का विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न करता है, जिसके अनुकूल उसके पास अभी ज्ञान ही नहीं है, तो उसे उस प्रश्न का उत्तर समझाया नहीं जा सकता। वह उसकी बुद्धि की सीमा से परे का उत्तर है। इसी प्रकार ईश्वर संबंधी किसी भी जिज्ञासा के समाधान के लिए बुद्धि को बहुत परिश्रम करना होता है। सच्चा जिज्ञासु राह ढूंढ़ ही लेता है।

दिवंकल तोमर सिंह

ठगी का नया ठिकाना

सुनीता मिश्रा

साइबर ठग मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी एकाउंट बना महिलाओं को आर्थिक, भावनात्मक रूप से शिकार बना रहे हैं

बीते दिनों मुंबई से अमीर तलाकशुदा महिलाओं को पहचान बदल-बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाने और उन्हें ठगने वाले फिरोज अहमद नियाज शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर विनय राजपूत और फिरोज शेख के नाम से दो फर्जी एकाउंट बनाए थे, जिसके माध्यम से देश की लगभग 30 से 40 तलाकशुदा हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को अपना निशाना बनाया।

वर्तमान में मेट्रोमोनियल वेबसाइटें ठगी का नया ठिकाना बन रही हैं। यहां साइबर ठग फर्जी एकाउंट बनाकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को न केवल आर्थिक, बल्कि भावनात्मक रूप से भी ठग रहे हैं। ठगों को इन साइटों पर तलाकशुदा महिलाओं को फंसाना बेहद आसान लगता है, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। वे फर्जी प्रोफाइल बेहद आकर्षक तरीके से बनाकर साइट पर डालते हैं। इनमें वे खुद को बड़ा बिजनेसमैन, एनआरआइ या फिर एक उच्चाधिकारी के रूप में पेश करते हैं। जैसे ही कोई महिला या उसके परिवार के सदस्य उसे देखते हैं तो प्रभावित होकर बातचीत शुरू कर देते हैं। बढ़िया रिश्ता हाथ से न चला जाए यह सोचकर महिला और उसके परिवार वाले भी ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना एक-दूसरे को जानने के बहाने अपना मोबाइल नंबर साझा कर लेते हैं। जैसे ही बातचीत शुरू होती है ठग महिलाओं को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद वे अपनी तरह-तरह की मजबूरी बताकर उनसे आनलाइन रुपये मांगना शुरू कर देते हैं। रुपये मिलने के बाद ठग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं और नए शिकार की तलाश में जुट जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में शादी के रिश्तों के लिए मेट्रोमोनियल साइटों पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन इस तकनीक ने जहां लोगों को सहूलियत दी है, वहीं इसके नुकसान भी हैं। इसलिए सोच-विचार कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। साइट पर अगर रिश्ता तय कर रहे हैं तो गहनता से पड़ताल के बाद ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। अगर लड़का या उसके परिवार का कोई सदस्य रुपये मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी को भी ई-बैंकिंग या ई-वालेट से रुपये न भेजें। खासतौर पर अपने लिए नए जीवनसाथी की तलाश कर रहीं तलाकशुदा महिलाओं को किसी भी रिश्ते में जुड़ने से पहले सूझबूझ से काम लेना होगा। भावुक होकर कोई भी कदम उठाने से बचना होगा। मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर बिना तहकीकात किए किसी पर भी विश्वास करने से बचना होगा। फर्जी एकाउंट बनाने वाले की प्रोफाइल अगर बार-बार एडिट हो रही है, तो उस पर नजर रखना होगा। लड़के को उसके नाम से इंटरनेट मीडिया पर जरूर सर्च करें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सराहनीय पहल का न हो दुरुपयोग

'एससी-एसटी आरक्षण पर उचित फैसला' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने उचित ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण की व्यवस्था का सही मायनों में विस्तार होकर सामाजिक न्याय की अवधारणा और सशक्त होगी। इस मामले में एक न्यायाधीश ने उचित ही कहा कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में जगह पाने के संघर्ष में सफल होने के बाद जब कोई उसमें स्थान पा जाता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि उसमें कोई और न चढ़े, क्योंकि उससे भीड़ बढ़ने की स्थिति बन सकती है। उनके कहने का आशय यही है कि एक बार किसी की कोई लाभ मिल जाए तो वह उसे साझा करने को लेकर संकोच करता है। आरक्षण के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरक्षण के माध्यम से कुछ वर्गों का सशक्तीकरण संभव हुआ है, लेकिन यह प्रविधान अभी तक अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर पाया है, क्योंकि इसका लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। उपवर्गीकरण के माध्यम से इसके अपेक्षित विस्तार की राह खुली है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस सुधारवादी कदम का किसी प्रकार से दुरुपयोग न किया जाए।

रवि वार्ष्णेय, बुलंदशहर

वायनाड की अनहोनी

केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन घटना में लगभग तीन सौ लोगों की जान जाना देश, समाज एवं पीड़ित परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है। कुछ समय पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी सावधानी सूचक आंकड़ों के अनुसार केरल में कई जिले भूस्खलन के हाटस्पाट चिह्नित हुए हैं। केरल सरकार उद्योगों और स्थानीय समुदायों के बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को तो बढ़ावा देना चाहती है लेकिन पर्यावरण एवं भौगोलिक आकलनों पर विशेषज्ञों की चेतावनियों की नजरंदाज किया गया।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन

सुप्रीम कोर्ट का एससी-एसटी आरक्षण पर निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस पर बहस करें और इसके प्रभावों को समझें। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है, लेकिन आज यह प्रणाली कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह देखा गया है कि शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, जबकि ग्रामीण और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आरक्षण प्रणाली में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण इसका उद्देश्य विकृत हो गया है। इसलिए, एक सख्त और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिले, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसके लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करे। आरक्षण की प्रणाली का दुरुपयोग रोका जाए। आरक्षण एक अस्थायी उपाय है और इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना है, न कि स्थायी रूप से वर्ग भेद को बढ़ावा देना। इस परिप्रेक्ष्य में, आरक्षण की अवधि और उसकी समीक्षा पर विचार करना आवश्यक है। इसके साथ ही, हमें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए, जो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाएं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में विशेष शिक्षा और रोजगार कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। अंततः, आरक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे सही ढंग से लागू करना आवश्यक है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - पीयूष पुष्कर्ण "पीयूष"
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक के प्रकाशन समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

कल्पमेधा

युद्ध मानवता को ग्रसित करने वाला सबसे बड़ा प्लेग है। यह धर्म को नष्ट करता है, परिवारों को नष्ट करता है। कोई भी महामारी इससे बेहतर है।

– मार्टिन लूथर किंग

तरक्की के गलियारे

आर्थिक विकास के लिए समुन्नत सड़कें आवश्यक हैं। इसलिए हर गांव, हर शहर को द्रुतगामी मार्गों से जोड़ने पर बल दिया जाता है। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में सड़कों के विस्तार, उनकी बेहतरी और पहुंच बढ़ाने की दिशा में काफी काम हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क गलियारों संबंधी आठ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत साढ़े पचास हजार करोड़ से ऊपर की लागत से करीब साढ़े नौ सौ किलोमोटर लंबे मार्ग बनाए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को मिली हैं, जिनमें कानपुर और अयोध्या में रिंग रोड बनाना शामिल है। इन गलियारों से विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाले राजमार्गों के बीच पड़ने वाले शहरी अवरोधों को दूर कर द्रुतगामी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निश्चय ही इन सड़कों के बनने से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और माल ढुलाई में काफी सुविधा होगी। वे शहरों के बीच भीड़ में फंस कर नाहक समय और पैसा बर्बाद करने से बच सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल लाने और अपने उत्पाद दूसरी जगह भेजने में बहुत आसानी होगी। फिर, सड़कें बेहतर होंगी, तो औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होगा और निवेश बढ़ने की उम्मीद भी जागेगी।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत लगातार ऊपर के पायदान पर चढ़ता नजर आ रहा है, उसमें सड़कों का ढांचा मजबूत किए बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मगर यह सवाल भी जब-तब उठता रहता है कि आधारभूत ढांचे का अर्थ केवल चौड़ी और तेजरफ्तार सड़कें बना देना भर नहीं होता। उनमें सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी समान रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर, जिस ढंग से शहरों का आकार बढ़ रहा है, गांवों से लोगों का शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है, उसमें उनके बुनियादी ढांचे पर ध्यान कब दिया जाएगा। यह गंभीर सवाल लगातार उठता रहा है कि सड़कों के विस्तार में जो पर्यावरण और कृषि क्षेत्र की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता और उसकी वजह से खासकर पहाड़ों पर जैसी मुसीबतें आए दिन टूट पड़ती हैं, उन पर कब ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों के तमाम विरोधों के बावजूद द्रुतगामी मार्ग बनाए गए। उसमें तकनीकी तकाजों तक की परवाह नहीं की गई। अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई की गई, जिसका नतीजा है कि वहां के ज्यादातर पहाड़ भंगुर हो गए हैं और सामान्य बरसात भी झेल नहीं पाते, धंस जाते हैं।

सड़कों के निर्माण का विरोध नहीं किया जा सकता, मगर उनसे दूसरी बुनियादी सुविधाओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण आदि विभागों से मंजूरी लेने की शर्तें लचीली कर दी गई हैं, जिसके कारण नाहक तोड़-फोड़ और प्रकृति संरक्षण की प्रतिबद्धता धूमिल हुई है। अनेक शहरों में सड़कों के विस्तार के लिए बहुत सारे लोगों के बसे-बसाए घर जमींदोज कर दिए गए, उन्हें अवैध करार दे दिया गया। फिर, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण में जरूरी मानकों की भी परवाह अक्सर नहीं देखी जाती, जिसका नतीजा है कि निर्माण के दौरान ही या कुछ दिनों बाद उनके धंसने-टूटने की शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम कसना तो एक बड़ा मुद्दा है ही। तरक्की के गलियारे बनाते समय बुनियादी सरोकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

आतंक के तार

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बेहद जटिल हो चुकी है, तो इसका एक बड़ा कारण आतंकी संगठनों को कभी-कभार मिलने वाली स्थानीय मदद भी है। अगर आतंकवाद से लड़ने वाले तंत्र में ही कुछ लोग ऐसे हों, जो परोक्ष रूप से आतंकियों के मददगार हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शनिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जिस तरह नार्को-आतंकवाद से कथित संबंधों के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों सहित छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, उससे रेखांकित होता है कि वहां आतंकवाद की समस्या अपने किस जटिल स्वरूप में मौजूद है। सरकार की ओर से कराई गई जांच में सामने आया कि जिन लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, वे पाकिस्तानी जासूसी एजंसी (आइएसआइ) और सीमा पार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों द्वारा संचालित नार्को-आतंकवाद का हिस्सा थे। सरकारी कार्रवाई की जद में आए पुलिसकर्मी और कर्मचारी मादक पदार्थों की बिक्री के जरिए आतंकवाद के वित्तपोषण में लिप्त पाए गए।

दरअसल, कुछ मादक पदार्थों की खेती भारतीय क्षेत्र में नहीं की जाती, पर पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद में इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है। भारत में इसकी तस्करी और खपत कई आतंकी नेटवर्कों के जरिए पाकिस्तान से होती है। आतंकी संगठन आमतौर पर युवाओं को अपने प्रभाव में लेते और मादक पदार्थों के जरिए उन्हें आतंकी जाल का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय समुदायों के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ की समस्या में अगर खुद पुलिस महकमे के कोई अधिकारी या कर्मी हिस्सेदारी करने लगें तो इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि कई बार आतंकवादी संगठन घाटी में अपना जाल फैलाने और अक्सर हमले करने में कामयाब हो जाते हैं। जो तंत्र आतंकवाद मिटाने में लगा है, अगर उसके आंतरिक ढांचे में ही आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो जाए, तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसलिए सरकार को अपने समूचे तंत्र में हर स्तर पर ऐसे तत्त्वों की पहचान करने की जरूरत है, जो किसी भी रूप में आतंकवादी संगठनों के लिए मददगार हो सकते हैं।

भूकम्प बदल देंगे नदियों के रास्ते!

धरती के भीतर होने वाले कंपन कई बार नदियों का मार्ग बदल चुके हैं। ऐसे में नदी कभी-कभी अपने मूल स्थान से मीलों दूर चली गई है। इससे तटवर्ती नगरों-महानगरों के निर्माण तो ध्वस्त होते ही हैं, एक बड़े परिक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न हो जाती है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

पूरी दुनिया में भूगर्भ विज्ञानी भूकम्प की अलग-अलग स्थितियों के मद्देनजर धरातल पर होने वाली हलचलों पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। किसी अतितीव्रता वाले भूकम्प के खतरों का भारत और बांग्लादेश में गंगा ही सामना नहीं कर रही, म्यांमा की इरावदी, चीन की येलो, अमेरिका की क्लैमथ और सीरिया-फिलस्तीन-इजराइल की सीमाओं से गुजरती जार्डन नदी की राह भी निरापद नहीं है। गंगा वैसे भी अपने तटों के प्राकृतिक कटाव के कारण समय-समय पर रास्ता बदलती रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बीते छह हजार वर्षों में कई बार अपने रास्ते बदल चुकी हैं। ताजा अध्ययन में, वाखेनिगन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड की लेखिका एलिजाबेथ चेंबरलेन का एक अत्यंत डरावना निष्कर्ष सामने आया है कि जिस तरह लगभग ढाई हजार वर्ष पहले उच्च तीव्रता वाले भूकम्प ने 180 किलोमीटर तक गंगा का डेल्टा उलट-पलट दिया था, भविष्य में वैसा ही दुबारा घटित हो सकता है।

धरती के भीतर होने वाले कंपन कई बार नदियों का मार्ग बदल चुके हैं। ऐसे में नदी कभी-कभी अपने मूल स्थान से मीलों दूर चली गई है। इससे तटवर्ती नगरों-महानगरों के निर्माण तो ध्वस्त होते ही हैं, एक बड़े परिक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न हो जाती है। अपने सबसे घातक और विनाशकारी रूप में आने वाला भूकम्प सड़कों, राजमार्गों को तोड़ते हुए पूरे परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने के साथ ही, नई-नई झीलें भी बना सकता है। विश्व में ढाई हजार से ज्यादा ऐसी जगहें हैं, जहां नदियां सक्रिय 'फाल्ट' के ऊपर से बहती हैं। यह एक जोखिम भरी स्थिति है। जहां भी अत्यधिक सक्रिय 'फाल्ट' के ऊपर बड़ी आबादी बसती और नदियां बहती हैं, वहां गंभीर संकट मुंह बाए खड़ा है।

जब 'टेक्टोनिक प्लेटें' सतह के नीचे एक-दूसरे को प्रतिकूलता में धिसती-खिसकती हैं, कंपन पैदा करती हुई चट्टान और मिट्टी की परतों के माध्यम से ऊपर उठती जाती हैं और ऐसे में भूकम्प का केंद्र नदी के करीब हुआ, तो जमीन का विस्थापन नदी की दिशा बदल देता है। नदियों और भूकम्पों के मामले में, धरातल की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर-के भावी परिवर्तनों के बारे में अधिक स्पष्टता से जाना जा सकता है। एक बड़े भूकम्प ने सन 1833 में जब कुमार्क क्षेत्र को बुरी तरह झकझोरा, तो कोसी नदी पूरब के बजाय दक्षिण की ओर बहने लगी। आसपास जलमग्न हो जाने से एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। इसी तरह, 1556 में चीन के शांक्सी प्रांत में हजारों लोगों की जान ले चुके ग्रेट हेनेबेई भूकम्प के दौरान पीली नदी ने मार्ग बदला, तो एक बड़ा कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया और नदी तीन सौ मील दक्षिण हुआई नदी में तब्दील हो गई थी। जापान के कांटो मैदान में 1923 में भूकम्प से टोन नदी का रास्ता तोंक्यो खाड़ी से बदल कर प्रशांत महासागर में चला गया और ओयामा शहर में बाढ़ आ गई। डेढ़ दशक बाद दुबारा भूकम्प ने फिर से टोन का मार्ग बदल दिया।

जलवायु परिवर्तन के साथ जैसे-जैसे मौसम का 'पैटर्न' समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, नदी प्रणालियों में भूकम्प से होने वाले महाविनाशकारी परिवर्तनों को समझना अपरिहार्य हो चला है। धरती लगातार हिल रही है। पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं। नदियां वैसे भी, विशेष रूप से मार्ग और प्रवाह में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। भूकम्प से नदी मार्ग में परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे संपत्ति, कृषि और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हाल में, जब अध्येताओं की एक टीम ने ढाका से सौ किलोमीटर दक्षिण में नदी की पुरानी मुख्यधारा खोजने के लिए सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल किया तो उस इलाके में भूकम्पीय संकेत-चिह्न मिले। इस क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्लेटें करीब होने से यहां अक्सर तेज भूकम्प आते रहे हैं। डेल्टा वाले नदी क्षेत्र में उच्च तीव्रता का भूकम्प आने पर प्रवाह का रास्ता पूरी तरह बदल सकता है। वहां तबाही इसलिए बहुत भयावह होगी, क्योंकि अब उस क्षेत्र में लाखों की घनी बसावट है।

> **ऐसे भी तमाम अध्ययन सामने आ चुके हैं कि कृत्रिम जलाशयों और मानव निर्मित बांधों के कारण भी भूकम्प आ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे नब्बे से अधिक स्थलों की पहचान हो चुकी है, जहां जलाशयों के भरने से भूकम्प आए। भारत में किलारी जलाशय लातूर के भूकम्प का कारण हो सकता है। कोयना भूकम्प अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विनाशकारी जलाशय-टिगर भूकम्प रहा है। हिमालय की तराई में 260 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के 'डिजाइन' मापदंडों पर सवाल उठते रहे हैं और भूकम्प को झेलने की बांध की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांचें होती रही हैं।**

ऐसे भी तमाम अध्ययन सामने आ चुके हैं कि कृत्रिम जलाशयों और मानव निर्मित बांधों के कारण भी भूकम्प आ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे नब्बे से अधिक स्थलों की पहचान हो चुकी है, जहां जलाशयों के भरने से भूकम्प आए। भारत में किलारी जलाशय लातूर के भूकम्प का कारण हो सकता है। कोयना भूकम्प अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विनाशकारी जलाशय-टिगर भूकम्प रहा है। हिमालय की तराई में 260 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के 'डिजाइन' मापदंडों पर सवाल उठते रहे हैं और भूकम्प को झेलने की बांध की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांचें होती रही हैं।

मई 2008 में सिचुआन में जिपिंपू बांध के निर्माण के कारण आए 7.9 तीव्रता के भूकम्प ने 80 हजार लोगों की जान ले ली थी। जलाशय की गहराई सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है, लेकिन पानी का आयतन भी भूकम्प उत्पन्न करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय, दक्षिण-पश्चिम चीन, ईरान, तुर्की और चिली सहित भूकम्पीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में कई बांध बनाए जा रहे हैं, जिनका विरोध भी हो रहा है। अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसी घटनाओं का माडल तैयार किया है, जिनसे होने वाले खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके। जलविज्ञानी गति-संवेदी उपकरणों के साथ धरातल और नदी की विशेषताओं तथा गतिविधियों, यानी कि आकार, ढलान, तलछट भार, प्रवाह दर का विश्लेषण करते रहते हैं। वे समय के साथ नदी के स्तर और निर्वहन की निगरानी के लिए स्ट्रीम गेज, सेंसर और उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं। नदी के व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि बढ़ती गंदगी, जलस्तर, प्रवाह दर में उतार-चढ़ाव, तलछट भार में व्यवधान आदि विसंगतियों का पता लगाने के लिए वे वर्तमान डेटा की तुलना ऐतिहासिक तथ्यों से करते हैं। भूकम्पीय और जल विज्ञान संबंधी डेटा को मिलाकर संभावित प्रभावों की संभावना और गंभीरता का अनुमान लगाते हैं।

भूकम्पीय गतिविधियों और नदियों के प्रवाह पर बारीक नजर रखे हुए वैज्ञानिक लगातार ऐसे जोखिम वाले तमाम वैश्विक क्षेत्रों की पहचान करने में जुटे हैं। सब कुछ के बावजूद, किसी भूकम्प के सटीक मापदंडों या किसी भी क्षण नदी के बहाव के बारे में पूर्वानुमान लगाना असंभव है। जैसे-जैसे मानव-जनित भूकम्पों की आवृत्ति और परिमाण में वृद्धि हो रही है, शोधकर्ता सतही जल और भूजल पर उनके प्रभावों का पता लगाने में जुटे हैं। एक नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने पांच दशक के उपग्रह चित्रों के अध्ययन के बाद नए सुराग खोजे निकाले हैं कि नदियां कहां और क्यों अचानक अपना मार्ग बदल लेती हैं। इस दिशा में लगातार प्रयासों के बावजूद, नदियों के स्थानांतरण के बारे में कुल डेटा अभी अपर्याप्त माना गया है। जलवायु परिवर्तन से भी महाविनाशकारी बाढ़ आ सकती है और समुद्र जल-स्तर, नदी के मुहाने के पीछे हटने का कारण बन सकता है।

क्या भला, क्या बुरा

एकता कानूनगो बक्षी

भारतीय समाज में एक मान्यता बहुत गहरे से समाई हुई है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। हालांकि अच्छे और बुरे को परिभाषित कर पाना इतना सरल काम भी नहीं है। हम सभी के भीतर दोनों ही पक्ष समाहित रहते हैं। यह हमारे उचित चुनाव पर निर्भर करता है कि हम जीवन जीने के किस तरीके को चुन रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व के कौन-से पक्ष के विस्तार को पर्याप्त खुराक दे रहे हैं या फिर क्या हम दोहरा जीवन जीना पसंद करते हैं? जिसमें कुछ लोगों के लिए हमारी छवि अच्छी बनती है, वहीं किसी और के लिए हम नकारात्मक भूमिका में आ जाते हैं। सामान्य रूप से हम सभी सही आचरण करते हैं, पर कभी-कभी खुद के लाभ के लिए अपनी सीमा को लांघ भी जाते हैं, क्योंकि असफल होना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता। हर हाल में वह विजेता की तरह नजर आने की ख्वाहिश रखता है।

किसी भी व्यक्ति की मनःस्थिति को समझ पाना मुश्किल होता है। दरअसल, हमारे पास अपने वास्तविक रूप को छिपाकर स्वांग रचने के कई साधन मौजूद हैं। दूसरी तरफ आत्मावलोकन और आत्मचिंतन की कला भी सभी को ठीक से नहीं आती। यही वजह है कि कई बार हम और हमारे विचार अक्सर किसी अपरिचित की तरह हमारे ही सामने आ खड़े होते हैं। हम अपने ही बदलते क्रियाकलापों, विचारों, भावावेगों से भौंचक्क रह जाते हैं।

लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति के संपर्क में बने रहने और भिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे की प्रतिक्रिया, आचरण और विचारों को समझने के बाद ही उससे थोड़ा बहुत परिचित हो पाना संभव हो पाता है। अधिकांश समय हम एक दूसरे के अल्प पक्षों को जानते हुए ही उसके समग्र व्यक्तित्व का अनुमान लगाने की भूल करते रहते हैं। इस भ्रामक स्थिति का फायदा उठाने में चतुर व्यक्तियों को मुश्किल नहीं होती।

निराशा और असहजता तब और अधिक बढ़ जाती है, जब हम किन्हीं निष्कपट, ईमानदार और सच्चे लोगों को हारते हुए संघर्ष करते देखते हैं। चतुर, चालाक, कूटनीतियों से अपने अनैतिक या भ्रष्ट काम को अंजाम देते हुए लोगों के साथ हमेशा बुरा होता हो, ऐसा भी हमें स्पष्ट नजर नहीं आता। यह भी रोचक है कि सही और गलत के खेल में हमेशा डोर मुट्ठी भर लोगों के निहित स्वार्थ पर केंद्रित होती है। ये वे लोग होते हैं, जिन्हें अनैतिक को नैतिक, गलत को सही दिखाने, बनाने और प्रसारित करने की कला बखूबी आती है। एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में वे सक्षम होते हैं, जिसमें लाभ अर्जन के सारे खेल सहजता से स्वीकार्य होते चले जाते हैं।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी घरों, परिवारों, स्कूलों में अक्सर यह पाठ पढ़ाया जाता रहा कि सच्चे मन और अच्छी नीयत से नैतिक मूल्यों के साथ किया गया काम और व्यवहार करते रहने से सब अच्छा होगा, सबका भला होगा। क्या यह बोधवाक्य अब अपनी प्रामाणिकता खोता हुआ नजर आने लगा है? इस कथन के प्रति पैदा होती निराशा मूल्यों के प्रति हमारी आस्था और विश्वास को धीरे-धीरे लील तो नहीं रही है? क्या यही कारण है कि आज हर हाल में सफल होना सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य मान लिया जाने लगा है। असफलता पहले की तरह संवेदना नहीं बटोर पाती। गिर कर वापस उठने से जुड़ा साहस, धैर्य और उम्मीद अब किसी तरह का खास जुनून पैदा नहीं करते। दबे पांव आज सब कुछ बिकाऊ होता चला जा रहा है। सफलता भी खरीदी जाने वाली चीज बनती गई है। शायद इसलिए हमारी नैतिक और मानवीय संवेदना भी शून्य होती चली गई है।

हमें यह समझना होगा कि हमारे अपने जीवन की, समाज के भविष्य की मजबूती केवल वास्तविक सत्य को स्वीकारने और उसके पक्ष में खड़े रहने से ही संभव है। किसी भी तरह का छोटा, बड़ा अनैतिक, बदनीयत व्यवहार हमें कभी भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। खुद के संतुलित व्यवहार और नैतिक आचरण की जिम्मेदारी भी गंभीरता से निभाना होगा। जब हम सही आचरण करते हैं, तब यह जरूरी नहीं है कि अब हमारे साथ सब अच्छा ही होगा या बाकी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। संभव है कि हमें दूसरों से विपरीत प्रतिक्रिया मिले। तब हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य का स्वभाव है कि बुरी आदतें, शब्द वह जल्दी सीख लेता है। जबकि सही को अपने में सम्मिलित करने में साधना की जरूरत होती है। फिर यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सही मूल्यों का असर जीवन में हमेशा के लिए बना रहता है। वह हमारा हिस्सा बन जाता है। हम कभी कुटिलता करने का प्रयास भी करते हैं तो हम भीतर से दुख और आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। अच्छाई के रास्ते पर बढ़े कदम पीछे कभी नहीं लौट पाते। यही कारण है कि झूठ, फरेब कितना ही शिखर प्राप्त कर लें, पर सम्मान केवल ईमानदार सदाचारी व्यक्ति का ही होता है।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **जब हम सही आचरण करते हैं, तब यह जरूरी नहीं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा या बाकी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। संभव है कि हमें दूसरों से विपरीत प्रतिक्रिया मिले। तब हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य का स्वभाव है कि बुरी आदतें, शब्द वह जल्दी सीख लेता है।**

वर्तमान में अगर हमारा चयन स्वार्थपरक बन सही के पक्ष में आवाज नहीं उठा पाता है तो यह निश्चित है कि भविष्य में हमारी ईमानदार कोशिशों को उनका उपयुक्त स्थान नहीं मिलेगा। हमें सदियों से सुने जा रहे इस सरल वाक्य के भीतर के महत्त्वपूर्ण अर्थ को सच साबित करना होगा कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा, यह न्यायपरक है, उम्मीदों से भरा वाक्य है, जिसमें सच्चे, मेहनती इंसान को हौसला मिलता है और कुटिल व्यक्ति को खुद को सुधारने की युक्ति। यह विचार सही मायने में सुंदर स्वस्थ समाज की नींव रखता है।

अव्यवस्था का हासिल

हाल ही में नेट और नीट परीक्षाओं के पर्चाफोड़ के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियां उजागर हुई हैं। कई मेहनती और मेधावी उम्मीदवारों के लिए नेट और नीट परीक्षाएं पेशेवर लक्ष्यों का अवसर देती हैं। पर्चाफोड़ की घटनाओं ने आवेदकों के मानसिक स्वास्थ्य पर खासा प्रभाव डाला है। यह सर्वविदित है कि भारत में विद्यार्थी स्कूल वर्ष के दौरान साथियों के दबाव, माता-पिता के दबाव और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के शैक्षणिक दबाव के कारण तनाव और चिंता से पीड़ित होते हैं। अब प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र हो गई है, जिसमें हजारों विद्यार्थी बहुत कम सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, चाहे वे कोई भी विषय चुनें। वे इन प्रश्नपत्रों की तैयारी में महीनों बिताते हैं। पर्चाफोड़ की घटनाएं उनके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं और उनकी भविष्य की योजनाओं को गड़बड़ा सकती हैं। ईमानदार और निष्ठावान विद्यार्थियों के लिए इस तरह की घटना उन्हें उनके प्रयासों और व्यवस्था की ईमानदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती हैं। इसलिए सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि परीक्षा की पवित्रता अब भंग नहीं होगी।

– कल्पना झा, फरीदाबाद, हरियाणा

सुरक्षा का सवाल

पंजाब सीमा पर सख्ती के चलते राजस्थान के रास्ते मादक पदार्थों की खेप आनी शुरू हो गई है। इससे अब राजस्थान के युवा पंजाब की तरह ही ज्यादा संख्या में नशेड़ी बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए खूब धन कमा रहा है और युवाओं का जीवन भी बर्बाद कर रहा है। नशे की लत लगते ही हर युवा परिवार और देश पर बोझ बन जाता है। इस जहरीले कारोबार के खिलाफ देश में सख्त कानून होने के बावजूद इनका नेटवर्क पकड़ में नहीं आ पा रहा है। यह सुरक्षा-व्यवस्था की नाकामी है। हमें रूस-चीन की सुरक्षा व्यवस्था से सबक लेना चाहिए, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गुप्तचर नेटवर्क बना कर सीमा क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से इन्हें पकड़ा जाना चाहिए!

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

धोखे के तार

धोखे से भारतीय युवकों की भर्ती की खबरें काफी समय से आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता में ये मुद्दा उठाने पर भी शायद रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। जालसाज गिरोह युवकों को विदेश में नौकरी के नाम पर रूस में युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे हैं। देश में बेरोजगारी या कम मेहनताने से त्रस्त युवा विदेश में नौकरी ढूंढ़ता है। वह वहां अफसर बनने नहीं, बल्कि बेहतर मेहनताने की उम्मीद में मजदूरी करने जाना चाहता है। गरीबी और अज्ञानता के कारण वह फर्जी एजंटों के चंगुल मे फंस जाता है। ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने पंजीकृत एजंटों की सूची इंटरनेट पर पर जारी कर रखी है, लेकिन यह नाकाफी है। असल में दुनियाभर में प्रवासियों से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाली भारत सरकार विदेश में नौकरी की तलाश करने वालों के प्रति कभी संजीदा नहीं रही। सरकार खुद आगे बढ़कर उनकी कोई मदद नहीं करती, बस शिकायत पर ही कुछ कार्रवाई करती है। सरकार को चाहिए कि वह विदेश में नौकरी ढूंढ़ने वालों को आर्थिक मदद दे, ताकि वे सस्ते के लालच में न फंसे।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उप्र

कौन जिम्मेदार

पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस घटना को अभी एक वर्ष ही बीता है कि दिल्ली के ही राजेंद्र नगर में उससे भी बड़ा हादसा हो गया। सवाल है कि इस तरह की लगातार लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जो कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से लाखों रुपए लेकर कोचिंग देते हैं, उस वक्त यह नहीं देखते कि इनकी जान की कीमत बहुत बड़ी है। वे किसी हाल में क्षमता के कई गुना ज्यादा की भीड़ बिठा देते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कि कब क्या घटना घट जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए। प्रशासन एक बार कार्रवाई करता दिखता है और फिर लंबे समय के लिए गायब हो जाता है। अब सरकार आगे के लिए सख्ती से कदम उठाए।

– अनूप तिवारी, दिल्ली

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 5 अगस्त 2024

युद्ध की आशंका

ईरान, हमास और हिजबुल्ला की इस्राइल (Israel) से बदला लेने की घोषणाओं के बीच मध्य पूर्व टकराव के एक नए दौर के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। पहले हिजबुल्ला के मिलिटरी चीफ फुआद शुकर का लेबनान के बेरूत में इस्राइली कार्रवाई में मारा जाना और फिर हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या- इन दोनों घटनाओं ने अचानक इस क्षेत्र का तापमान काफी बढ़ा दिया है।

तूफान का इंतजार | आलम यह है कि कल तक शांति की जरूरत बता रही और इस दिशा में कोशिश कर रही शक्तियां भी फिलहाल संघर्ष के और तेज होने की आशंका के आगे लाचार दिख रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे तमाम देश अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील कर रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से दूर रहने और जो पहले से वहां हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा है। इस्राइल में रह रहे भारतीयों से भी सतर्क रहने और प्रोटोकॉल्स का पालन करने को कहा गया है।

ईरान-इस्राइल आमने-सामने

बम शेल्टर की पहचान | ईरान की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है और वह इस अधिकार का इस्तेमाल निश्चित रूप से करेगा। दूसरी ओर इस्राइल भी हमले की आशंकाओं को लगभग स्वीकार करते हुए इसका सामना करने की तैयारियों में लग गया है। वहां नागरिकों को बताया जा रहा है कि हमला होने की स्थिति में किन-किन स्थानों को बम शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कितनी गंभीर होगी कार्रवाई | ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई कितनी गंभीर होगी और इसके किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। याद किया जा सकता है कि इसी साल अप्रैल में भी ईरान ने इस्राइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। तब सीरिया के दमिश्क में इस्राइली कॉन्सुलेट पर हुई बमबारी का बदला लेने के लिए उसने इस्राइल पर 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइलें और 110 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी थीं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मामले को और बिगड़ने से बचा लिया गया था। क्या इस बार भी बात दोनों तरफ की सीमित और सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित रहेगी?

युद्ध को टाला जाए | सभी पक्षों के मूड को देखते हुए फिलहाल इस उम्मीद में ज्यादा दम नजर नहीं आता, लेकिन यह बात भी सही है कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों के प्रत्यक्ष और परोक्ष नतीजों से जूझती दुनिया ईरान-इस्राइल के बीच एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि अगर ऐसा कोई युद्ध हुआ तो वह दूर तक नहीं फैल जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि कूटनीति के सभी संभव दांव आजमाते हुए इस तनाव को यथासंभव कम नुकसान की कीमत पर निकल जाने दिया जाए।

चक्र-व्यू

मृत्यु की बातें

राहुल पाण्डेय

बहुत साल पहले जब मेरे पड़बाबा की मौत हो रही थी, तो तीन दिन पहले ही सारे नाते-रिश्तेदारों को बुला लिया गया। मेरे पड़बाबा अपशब्द बहुत कहते थे। पंडित थे- पूजा-पाठ कराने वाले, कथा बांचने वाले। लेकिन आसपास के गावों में उनकी प्रसिद्धि मंत्रों की जगह गालियों-अपशब्दों को लेकर थी। बहुएं आतीं, पैर छूतीं और पूछतीं, पहचाने बाबा? बाबा बहुओं को वही गाली देते, जो सिर्फ उन्हीं के लिए उन्होंने ईजाद की थी। बहुएं संतुष्ट होतीं कि बुढ़ऊ मरते-मरते आखिरकार पहचान ही गए! फिर बाबा मरे। आमतौर पर सबकी जुबान पर यही था कि अंत तक गालियां देते-देते मरे। बड़े भाग्य वाले होते हैं वो, जो अंत तक वही करते-करते मरते हैं, जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उसके काफी सालों बाद मेरे एक जवान चाचा कैंसर के चलते चल बसे। अविवाहित थे। इसलिए उन्हें जलाया नहीं जा सकता था। पंडितों ने जनेऊ का जुगाड़ बताया। चाचा की लाश का जनेऊ संस्कार हुआ, तब कहीं जाकर उनकी चिता को आग मिली। इस बार गांव वालों की जुबान पर दो चीजें थीं। पहली, जवान बच्चे को छीन लिया। दूसरी, ईश्वर की शायद यही मर्जी थी। दोनों ही घटनाएं तीन दशक से भी पहले की हैं। कुछ साल पहले मेरे एक प्रिय मित्र की मौत कैंसर से हुई। उनके गांव पहुंचा तो वहां सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, बच तो सकता था, मगर घरवालों ने देर कर दी। जल्दी ले जाते तो शायद बच जाता!

मैंने कहीं पढ़ा था कि सौ-दो सौ साल पहले तक मृत्यु जीवन का ही एक अंग मानी जाती थी। हमारे धर्मशास्त्र भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहते हैं- यह जीवन को पूरा करने वाला चक्र है। इसीलिए शव इंसानों से अधिक पवित्र माना जाता था। दुनिया में लगभग हर संस्कृति में लोग उसकी अपने-अपने तरीकों से पूजा करते थे। कब्रों और समाधियों पर आज भी उनके लिए जलते दिए उसी परंपरा के निशान हैं। पूजा-पाठ और ईश्वर की जिम्मेदारी से शुरू हुआ मृत्यु का यह अध्याय अब मेडिकल साइंस पर आकर बंद हो चुका है। शव अब पूजा की ही नहीं, पढ़ाई की भी विषय वस्तु है। धर्म चाहे जो भी कहे, मगर मन में अगर मृत्यु को लेकर शक है तो लोग पोस्टमॉर्टम कराने से भी नहीं हिचकते। अब कोई मरता है तो वह ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। अब वह चिकित्सा शास्त्र की विफलता होती है। कहा जाता है कि पेसमेकर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। या फिर अस्पताल में वेंटिलेटर खराब था। या फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं, डॉक्टर गड़बड़ था! सोचता हूं कि आज मेरे पड़बाबा जिंदा होते, और यह सब सुनते तो क्या कहते!

एकदा

नेकी की दौलत

गुलाम वंश के छठे शासक हुए नासिरुद्दीन महमूद। वह बहुत ही भले और सहिष्णु शासक थे। वह शाही खजाने का इस्तेमाल सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए करते थे। अपने परिवार का खर्च कुरान शरीफ का अनुवाद करके चलाते थे। एक दिन उनके एक नौकर ने कहा, 'बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है। आप थोड़ी सहायता कर सके, तो बड़ी मेहरबानी होगी।' नौकर की बात सुनकर नासिरुद्दीन ने कहा, 'भाई, इस समय तो मेरे पास मेरी कमाई के सिर्फ दो सिक्के हैं। पैसे कुछ कम जरूर हैं, पर नेकी की कमाई हमेशा बढ़ती है। उसमें बरकत होती है।'

नौकर को लगा बादशाह और पैसा नहीं देना चाहते हैं। खैर वे दो सिक्के लेकर वह अपने गांव चल पड़ा। रास्ते में उसने उन सिक्कों से अनार की कुछ टोकरियां खरीद लीं। कई दिन चलने के बाद जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पता चला कि उस राज्य के राजा की बीवी सख्त बीमार है और हकीम का कहना है कि वह अनार का रस पीने से ठीक हो सकती है। राजा ने घोषणा की- जो कोई अनार लेकर उसके पास आएगा, उसे एक अनार के बदले में एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उस समय राजधानी में अनार नहीं मिल रहे थे। नौकर ने तुरंत रास्ता बदला और अनार लेकर राजदरबार पहुंच गया। बादशाह ने उसके सारे अनार खरीद लिए और नौकर को एक-एक अनार की कीमत अपनी घोषणा के मुताबिक दिए। नौकर को बादशाह नासिरुद्दीन की बात याद आई कि नेकी की दौलत हमेशा बढ़ती है।

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाया

UP के नए धर्मांतरण कानून से चिंता क्यों

नावेद महमूद अहमद

आयुषि शर्मा

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून का पारित होना बड़ी बात है। सरकार ने इसे नाम दिया है यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024। इसके जरिये धर्म परिवर्तन रोकने के लिए पहले से मौजूद एक्ट में संशोधन किया गया है।

मनमानी बढ़ेगी | राज्य सरकार ऐसा मानती प्रतीत होती है कि इस नए संशोधित कानून से गैरकानूनी धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक लगाना संभव होगा, लेकिन यह कानून संवैधानिक रूप से संदिग्ध लगता है। इससे मनमानी बढ़ने के आसार हैं। यही नहीं, इससे भारत में आपराधिक कानून बनाने के तरीके में मौजूद बड़ी खामियां जाहिर होती हैं। ऐसे कानूनों का उपयोग अक्सर दिन-प्रतिदिन के शासन में किया जाता है। संवैधानिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होने के बजाय ये कानून बाहरी विचारों के अधीन रहते हैं।

व्यापक परिभाषा | यह कानून गैरकानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसकी परिभाषा इतनी व्यापक रखी गई है कि यह किसी भी तरह के धर्मांतरण को अपराध घोषित कर देती है। एक्ट के मुताबिक, अगर किसी कन्वर्जन में गलतबयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या प्रलोभन का तत्व शामिल है तो उसे गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है।

दुरुपयोग का डर | कानून में बताए गए आधार इतने व्यापक हैं कि इनकी गलत व्याख्या और दुरुपयोग की आशंका है। जैसे प्रलोभन में 'दैवीय नाराजगी' को शामिल किया जा सकता है तो जबरदस्ती में मनोवैज्ञानिक दबाव को और कपटपूर्ण साधन में झूठे नाम या धार्मिक प्रतीक के इस्तेमाल को। ऐसे कानून में धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग को अपराध घोषित करने की क्षमता है।

आरोपी पर जिम्मेदारी | इस एक्ट के हिसाब से आरोपी को साबित करना होगा कि उसने गैरकानूनी ढंग से धर्मांतरण नहीं किया। यह उन सामान्य कानूनों से अलग है, जहां स्टेट को सबूत पेश करने पड़ते हैं। नया एक्ट यह मानकर चलता है कि सारे धर्मांतरण कानून के खिलाफ हैं, जब तक कि साबित नहीं हो जाता कि वे कानूनी रूप से सही हैं।

बेतुके केस की भरमार | एक्ट के सेक्शन 4 में मूल रूप से केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को गैरकानूनी धर्मांतरण की FIR दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद धार्मिक संगठन और दूसरे पक्ष के लोगों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए बेतुके मामले दर्ज कराए।

उत्पीड़न का खतरा | ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज कराने की अनुमति देने से उन लोगों के उत्पीड़न की काफी आशंका होती है जो अपना धर्म बदलना चाहते हैं। संशोधित कानून तो अब किसी को भी गैरकानूनी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, भले ही उसका कथित पीड़ित से कोई संबंध न हो।

एक्ट पर आशंका

- नए कानून का दुरुपयोग हो सकता है
- निर्दोष साबित करना होगा आरोपी को
- जमानत मिलना और मुश्किल हुआ

सजाएं कठोर हुईं | मूल अधिनियम में अवैध धर्मांतरण के लिए एक से लेकर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर न्यूनतम तीन साल और अधिकतम 10 साल की अनिवार्य सजा कर दिया गया है। पुराने कानून के मुताबिक, अगर समाज में हाशिये पर पड़ा कोई समूह पीड़ित होता तो दो से 10 साल तक की सजा थी। इसे भी बढ़ाकर न्यूनतम पांच वर्ष से 14 वर्ष तक कर दिया गया है। इसी तरह, धमकी देने, हमला करने, धर्मांतरण के लिए विवाह का वादा करने जैसे मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

प्रभाव पर सवाल | कठोर सजा को यह कहकर सही बताया जा रहा है कि गैरकानूनी धर्मांतरण संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। लेकिन यह देखे बिना कि मूल कानून कितना प्रभावी है, सजाएं बढ़ाने का औचित्य साफ नहीं होता।

बेल मिलना मुश्किल | जमानत देने की शर्तों को तय करने के मामले में संशोधित अधिनियम कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और NDPS एक्ट के प्रावधानों का पालन करता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। संशोधित धारा 7 के अनुसार, आरोपी को जमानत पर उसी स्थिति में रिहा किया जा सकता है जब सरकारी वकील को जमानत याचिका का विरोध करने का मौका दिया गया हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर निकलने के बाद उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत देने के लिए ये मानक अनुचित हैं।

विपरीत असर | भारत सरकार कानून को नागरिकों के हित में और भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है, ऐसे में इस तरह के अधिनियम का विपरीत असर पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं कि जबरन धर्मांतरण रोकना जरूरी है, लेकिन लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी बनी रहनी चाहिए। इसे दबाने के लिए आपराधिक कानूनों के उपयोग से संविधान की तरफ से मिले अधिकारों पर चोट पहुंचती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और वास्तविक मुद्दों को हल करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

(अहमद विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में टीम लीडर और आयुषि शर्मा सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं)

एक ट्रिक आज़माइए, काम से प्यार हो जाएगा

AI Image

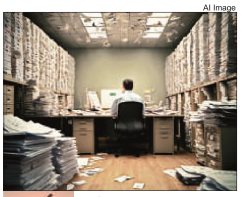

जीवन आनंद

एक्सल शीट, फाइलों के ढेर, कस्टमर्स का शोर या बॉस की बातें - अपने काम के बारे में सोचते हुए इनमें से आपका ध्यान किस पर जाता है? और जब ध्यान जाता है तो कैसी भावनाएं उभरती हैं - गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकान या ऊब? क्या इनके बीच कहीं भी थोड़ी-सी गुंजाइश है खुशी के लिए? बहुत पुरानी कहावत है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। हालांकि मन की करना हमेशा आसान नहीं होता और जब मन का काम न हो, तो खुशी तलाशना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ट्रिक है, जिससे आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। ट्रिक है, अपने काम के बारे में सोचना और आनंद लेना उससे।

यह तो पता ही है हमें कि सोचने में बड़ा रस है। किसी को खाने के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो कोई कुर्सी पर बैठे-बैठे ही अपनी सोच में दुनिया घूम आता है। सुनने में भले टाइमपास हो सकता है कि बेतुके लगे ऐसे ख्याल, लेकिन मूड बनाने की क्षमता होती है इनमें। तो फिर क्यों न अपने काम के बारे में सोचकर मूड अच्छा किया जाए! इसकी शुरुआत सबसे पहले कीजिए इस बेसिक बात से कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर दिल के किसी कोने में यह बात दबी बैठी है कि हमारा काम है किस काम का, तो उसे निकाल दीजिए। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे-से ही होती है। कभी सुना आपने कि कुछ शुरू ही बड़े से हुआ हो? भविष्य में जब आप अपने अतीत में झांकेंगे, तब पता चलेगा कि आपने जो किया उसकी कितनी अहमियत है। एपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का कहना था कि, 'हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा काम के हवाले होता है। ऐसे में सच्ची संतुष्टि उसी काम में मिलती है, जिसे हम अपने लिए अच्छा मानते हैं और अच्छा काम करने का एक ही तरीका है, कि जो हम कर रहे हैं उसे प्यार करें।' काम का मतलब बस रोजगार नहीं होता। धीरे-धीरे यह हमारी पहचान बन जाता है। हम कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, कब सोते हैं और यहां तक कि क्या खाते हैं - कई बार यह सब भी तय होता है काम से। भारतीय समाज की बात करें तो यहां व्यक्तित्व बनता ही है काम से और एक बार जो इसका खोल चढ़ा तो फिर कभी उतरता नहीं। मास्टर जी, डॉक्टर साहब या बोर्ड ऑफिस वाले ठाकुर जी कभी अपनी इस पहचान से बाहर नहीं निकल पाते। हां, हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन अगर यहीं तक सीमित रहे तो जिस आनंद की तलाशने की बात कर रहे हैं उसे हमेशा के लिए खो देंगे। पैसों से आगे, इसमें मौका है कुछ बड़ा करने का। यह आपको जवाबदेह, जिम्मेदार और काबिल बनाता है।

काम जीवन को दिशा देता है हमारे। हमें एक लक्ष्य देता है और उस लक्ष्य के सामने जो चुनौतियां आती हैं उन्हें पार करने की वजह भी। याद कीजिए कि आखिरी बार आपके पेशे ने आपके सामने कौन-सी चुनौती पेश की थी और उसका सामना कैसे किया था आपने। क्या उस पल आपको जीत का अहसास नहीं हुआ? जरूरी नहीं कि हर बार कुछ बड़ा ही अचीव किया जाए। कोई भी इमारत ईंटों से ही बनती है और काम के दौरान रोजमर्रा आने वाली मुश्किलें यहीं ईंटें हैं। जब हम इतनी ईंटें जुटा लेते हैं, जिनसे एक इमारत खड़ी हो सके, तो महसूस होता है कि कुछ बड़ा हासिल किया है। यही चीज हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब एक बार अहसास होने लगता है कि हमारे प्रयासों से कुछ अच्छा घट रहा है, तो उससे बड़ा संतोष कुछ भी नहीं। तब आप खुद महसूस करेंगे कि घड़ी की 10 से 5 वाली सुई आपको बांध नहीं रही। तब आप मुक्त होंगे अपने काम को एंजॉय करने के लिए।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesofindia.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें- '**जीवन आनंद**'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

क्या आपको लगता है, सुख-दुख का कारण भगवान हैं

ब्रह्मा कुमारी शुक्ला

कहते हैं, ईश्वर सुख-दुख के दाता हैं। असल में, परमात्मा दुख-सुख के ज्ञाता हैं, दाता नहीं। अगर दाता होते तो किसी को कम और किसी को ज्यादा सुख या दुख क्यों भिलता। परमात्मा तो सबके रूहानी पिता हैं। अगर मान भी लें कि वह सुख या दुख बांटते हैं, तो भी वह पक्षपात क्यों करेंगे? परमात्मा सभी आत्माओं के लिए सदा सम दृष्टि रखते हैं, और कभी किसी भी रीति से भेदभाव नहीं करते। लेकिन, संसार में किसी के पास अधिक सुख सुविधाएं हैं, तो किसी के पास बहुत कम। दूसरी बात, सुख सुविधाएं होते हुए भी कोई दुखी रहता है और कोई सुख के संसाधन न होते हुए भी सुखी।

ईश्वर न तो सुख शांति की वर्षा करते हैं और न ही अपनी रूहानी बच्चों को विरासत में सुख के कोई भौतिक साधन देते हैं। हां, वह हमारे ऊपर रूहानी ज्ञान, गुण और शक्तियों के सूक्ष्म खजाने की वर्षा जरूर करते हैं। वह हमें दुख से मुक्त होने और सुख से युक्त होने की युक्ति और उपाय सुझाते हैं। जितना हम इन ईश्वरीय ज्ञान खजाने को जीवन में ग्रहण और धारण करते हैं और उन्हें अपने कर्म व्यवहार में प्रयोग और उपयोग करते हैं, उतना हम सच्ची खुशी और आनंद के अधिकारी बनते हैं। असली सुख शांति को हम किसी से दान या विरासत में और साधनों से नहीं पा सकते। इसे केवल ईश्वरीय ज्ञान, ध्यान, योग, साधना और तपस्या के जरिए ही अर्जित कर सकते हैं।

सवाल उठता है कि क्या ईश्वर अपने बच्चों को सुख या दुख देते हैं? या मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण सुख या दुख भोगता है? दूसरा, क्या भगवान दुनिया में भाग्य बांटते हैं? या इंसान अपने कर्मों से भाग्य बनाता या बिगाड़ता है? सचाई यह है कि वह न किसी को सुख और न ही किसी को दुख देते हैं। वह सर्वज्ञ हैं, वह दुख से बचने और सुख की राह बताते हैं। उनका एक ही मूलमंत्र है- कभी किसी को न दुख दो, न किसी से दुख लो, हमेशा दूसरों को सुख दो और दूसरों से सुख लो। कइयों का कहना है कि औरों को दुख न देना तो ठीक है, पर औरों से दुख न लेना कैसे संभव है?

गहराई से देखें तो जानेंगे कि दुखी हुए बिना कोई किसी को न तो दुख दे सकता है, न ही किसी से दुख ले सकता है। किसी के लिए संवेदना और सहानुभूति जताने का यह अर्थ नहीं है कि उसके दुख में दुखी हो जाना। अगर औरों की पीड़ा से हम प्रभावित होते हैं तो कैसे हम उसकी पीड़ा दूर करेंगे? जब हम अपनी मानसिक स्थिरता या भावनात्मक शांति और संतुलन को कायम रखेंगे, तभी तो दूसरों को सांत्वना या मनोबल दे सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच, समझ, ज्ञान और संस्कारों को ईश्वरीय महावाक्यों के आधार पर ढालने की जरूरत है। जीवन में सद्ज्ञान, सद्दिशा पाने के लिए भक्तजन गाते हैं, 'नयन हीन को राह दिखाओ प्रभु हम दर-दर ठोकर खाएं।'

इस पुकार का आशय स्थूल नयन को राह दिखाने से नहीं, बल्कि ईश्वर से ज्ञान नेत्र पाने या उनके सद्ज्ञान से सदमार्ग और सद्गति प्राप्त करने से है। भगवत प्रेम और सत्कर्मों से ही इंसान अपनी जीवन में असली सुख शांति और परमानंद को प्राप्त कर सकता है।

इंडोनेशिया में डचों के बेइंतहा जुल्म

मृत्युंजय राय

काली मिर्च का 18-19वीं शताब्दी से पहले भारतीय पकवानों में काफी इस्तेमाल होता था क्योंकि तब तक हमारा वास्ता हरी और लाल मिर्च से नहीं पड़ा था। ये दोनों मिर्च पुर्तगाल की देन हैं, जिन्हें वास्को डि गामा अपने साथ लाया। वहीं, चिली पेपर दक्षिण अमेरिका की पैदाइश है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तो उसके बाद यूरोप और बाकी दुनिया को मिर्च के बारे में पता चला। पुर्तगाली लोग मिर्च को गोवा लाए और फिर देश में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होने लगी।

जिस तरह से काली मिर्च के भारत से होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें थीं, उसी तरह से इंडोनेशिया में जायफल और जावित्री के व्यापार पर कब्जे को लेकर डच और अंग्रेजों के बीच मुकाबला हुआ। 200 साल तक भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना रहा और इंडोनेशिया ने भी कई शक्तियों के अधीन रहने के बाद 1945 में खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन इंडोनेशिया होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसने एक तरह से आधुनिक दुनिया को गढ़ने में भी भूमिका निभाई है। **Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World** नाम की किताब में David Van Reybrouck इसी से रीडर्स का तारूफ कराते हैं।

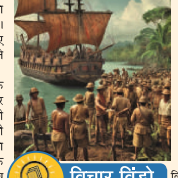
AI Image

विचार विंडो

इंडोनेशिया का औपनिवेशिक दौर सन 1500 से शुरू होता है। तब पुर्तगालियों का इसके कुछ हिस्सों पर शासन हो गया। उसके बाद यह डच, फिर फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के अधीन रहा। ब्रिटेन के बाद इंडोनेशिया पर फिर से डचों का शासन हुआ। वैसे, द्वितीय विश्वयुद्ध के वक्त जब नाजियों का नीदरलैंड्स पर कब्जा हुआ तो जापान इंडोनेशिया आ पहुंचा। यहां उसकी फौज ने इंडोनेशिया को डचों के नियंत्रण से आजाद कराने का दावा किया, लेकिन सच यही है कि जापानियों का बर्ताव भी इंडोनेशिया के लोगों के साथ उतना ही बुरा था। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के एटम बम गिराए जाने के बाद जब जापानियों ने सरेंडर किया तो अगस्त 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

डेविड लिखते हैं कि नीदरलैंड्स के लोगों को औपनिवेशिक इतिहास पर गर्व है। 2019 में 8 औपनिवेशिक ताकतों के लोगों के बीच YouGov ने सर्वे किया था। इससे पता चला कि नीदरलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने इस इतिहास को लेकर गर्व महसूस करते हैं न कि वे इसे लेकर शर्मिंदा हैं। डेविड इस किताब में बताते हैं कि इन लोगों की यह सोच क्यों गलत है। वह 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की दुर्दांत लूट के बारे में बताते हैं। वह यह भी लिखते हैं कि किस तरह से 19वीं सदी में इन लोगों ने स्थानीय लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई। वह उन लोगों को तलाशने भी निकलते हैं, जिन्होंने इस तरह से जुल्म इंडोनेशिया के लोगों पर किए थे और जो जीवित हैं। उन्हें गूज ब्लोक नाम का ऐसा ही एक व्यक्ति बताता है कि किस तरह से इंडोनेशियाई टीनजर्स को बिजली के शॉक देकर प्रताड़ित किया जाता था। वह लिखते हैं कि ऐसे जुल्म सह चुके इंडोनेशियाई लोगों को लगा जापानियों के आने के बाद वे आजादी की सांस ले सकेंगे। उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में जापानियों का इसी वजह से स्वागत किया। लेकिन उनका बर्ताव भी दूसरी औपनिवेशिक शक्तियों जैसा ही था। इसके बारे में एक इंडोनेशियाई यूं कहता है, 'उपनिवेशवाद तो उपनिवेशवाद ही है' चाहे डच हो या जापानी।

ये मदर एथलीट्स

प्रणव प्रियदर्शी

प्रेग्नेंसी या मदरहुड कुदरत की सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन बात अगर महिलाओं के करियर की हो तो यह एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आता है। उनके कई कीमती साल इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि जमैकन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर शेली-ऐन फ्रेजर प्राइस को अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला तो वह बिस्तर पर बैठी रो रही थीं। लेकिन जज्बा देखिए उनका कि बेटे को जन्म देने के दो साल के अंदर वह 100 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप (2019) जीतने वाली पहली एथलीट मां बनीं। 8 ओलिंपिक मेडल जीत चुकीं शेली पैरिस ओलिंपिक के बाद रिटायर होना चाहती हैं ताकि बेटे के साथ वक्त बिता सकें। मदरहुड के साथ स्पोर्ट्स पर्सन के जज्बे को साधते हुए दुनिया के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिशन से गुजर कर ओलिंपिक पहुंचीं कई हस्तियां पैरिस में अपने प्रदर्शन से दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित कर रही हैं, चाहे वह बेटे को जन्म देने के छह सप्ताह के अंदर ट्रेनिंग शुरू कर देने वाली कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बियांका विलियम्स (ब्रिटेन) हो या 63 किलो कैटिगरी में ब्रॉन्ज जीतने के बाद अपने मेडल के साथ बेटी को उठाए दिखने वाली 31 साल की फ्रेंच जुडोका क्लैरिस बोगडन्ता आग्बेगनेनी या भारत की 30 वर्षीया आर्चर दीपिका कुमारी। इजिप्ट की 26 वर्षीया फेंसर नाडा हाफिज ने तो 7 महीने की प्रेग्नेंट होते हुए पैरिस ओलिंपिक में हिस्सा लिया। दो बच्चों की मां और 11 ओलिंपिक मेडल विनर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एलिसन फेलिक्स पेरिस ने अनोखी पहल की है। उनके प्रयासों की बदौलत पहली बार पैरिस में ओलिंपिक विलेज नर्सरी लॉन्च की गई है। यहां न केवल बच्चों के लिए तरह-तरह के खिलौने हैं और उनकी देखभाल का इंतजाम है बल्कि मदर्स के लिए बच्चों को दूध पिलाने की जगह भी है। प्रेग्नेंसी और मदरहुड को परफॉर्मेंस में आड़े न आने देने के लिए महिला खिलाड़ियों का जज्बा ही नहीं, इस तरह की पहलकदमियां भी जरूरी हैं।

शेली-ऐन फ्रेजर प्राइस

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ मेडल की खुशियां

29 जुलाई को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'खुशियों का मेडल चाहिए तो देखें ओलिंपिक्स' दिल को छू लेने वाला लेख लगा। पेरिस ओलिंपिक में अब तक भारत को केवल तीन मेडल मिले हैं। लेकिन इसमें भारतीय एथलीट्स ने जिस अंदाज में अपना हुनर दिखाया है वह शानदार रहा। खासकर तीरंदाजी, बैडमिंटन और शूटिंग में भारतीय एथलीटों का जलवा देखने को मिला है। मनु भाकर ने शूटिंग में पहले ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खाता खोला और फिर एक ओलिंपिक में दो मेडल जीतने का कमाल भी अपने नाम कर लिया। किसी खिलाड़ी को ओलिंपिक मेडल मिलता है, तो यह पूरे देश के लिए भी खुशियां मनाने का क्षण होता है।

शोभित कुमार, ईमेल से

■ जीवन के कई रंग

यह पत्र 22 जुलाई को प्रकाशित लेख 'जो हो रहा है, उसे स्वीकार करिए, मजे में रहेंगे' से संबंधित है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें स्वीकार करना सहज नहीं होता। ऐसी घटना मन की बेचैनी बढ़ा देती है। लेकिन जीवन तो कई रंगों का खेल दिखाता है। बस उन्हें स्वीकार करते जाना है और स्वयं को उसके लिए तैयार रखना है। इसे हार के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

जीवन आनंद

■ चुप रहना बड़ी बात

मित्र, रिश्तेदार या अजनबियों की असहनीय बातें कभी-कभी असहज कर देती हैं। ऐसी परिस्थिति में जवाब देने की इच्छा स्वाभाविक होती है। पर कई बार चुप रह जाना हितकर साबित होता है। जवाब न देने के लिए जब हम हम खुद को तैयार करते हैं, तो मानसिक शांति तो मिलती ही है, उससे विचारों में संतुलन बन जाता है। यह हमें नकारात्मकता से भी बचाता है। यह सेल्फ कंट्रोल और समझदारी की निशानी है। यह हमारे आत्म-सम्मान और आत्म-मूल्य को बनाए रखता है। इसके बाद तो आनंद का ही समय आता है।

रश्मि रावत, दिल्ली

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

वसुंधरा बोलीं, राजनीति का दूसरा नाम है उतार-चढ़ाव - एक खबर - इस सचाई का अहसास प्रायः 'उतार' के दौरान ही होता है।

प्रशांत सिन्हा

नभ टाइम्स, आई. ए. 2/8/2024 स्वामियत्व पुस्तिका/विविध अनुपाति के बिन संपादन व अंतिम पृष्ठसंकलन पुस्तिका : जीवनदिन। नवभारतिकारी हैंड, बोलनेवाले एवम् प्रकाशी विवेचिकार के लिए राजेश पराग द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट 4ए, औद्योगिक क्षेत्र मालिकपुर** और नगर मार्ग 7-8, सेक्टर 58-11, इंडस्ट्रीज एरिया राजनीति, नगरपाल, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 2330000 बिजनेस 2240240, पंजीकृत कार्यालय : टाइम्स बिल्डिंग प्रेस, पुष्पा-400001 जिसका प्रेस मुद्रण : 1 ई. डी. मोदी। नेहरू के मुख्य पुस्तकालय से प्